

IslamHouse.com



مركز  
Osoul Center  
www.osoulcenter.com



# इस्लाम धर्म की खूबियाँ



Hindi  
الهندية  
हिंदी

रचना: अब्दुल अजीज़ मुहम्मद अस्सल्मान

तर्जमा: अबू यासिर ज़ाकिर हुसैन

सम्पादना: अबू अस्अद कुतुब मुहम्मद अल्असरी

प्रकाशना: मक्तब दअ्वा रबवा, रियाज़, सऊदी अरब



# من محاسن الدين الإسلامي

المؤلف

عبدالعزیز بن محمد السلمان

الترجمة

ذاكر حسين وراثة الله

المراجعة

أبو أسعد قطب محمد الأثري



Hindi  
الهندية  
हिंदी

ح) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ورائة الله، ذاكر حسين

من محاسن الدين الإسلامي. اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله. - الرياض، ١٤٤٠هـ

١٠٨ ص، ١٤ سم x ٢١ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣٠-٧

١- الإسلام - مبادئ عامة ٢- الفضائل الإسلامية أ. العنوان

١٤٤٠/١١٤٦٦

ديوي ٢١١

رقم الايداع: ١٤٤٠/١١٤٦٦

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣٠-٧



This book has been conceived, prepared and designed by the Osool International Centre. All photos used in the book belong to the Osool Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osool Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osool Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.



+966 11 445 4900



+966 11 497 0126



P.O.BOX 29465 Riyadh 11457



osoul@rabwah.sa



www.osoulcenter.com





शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु)  
निहायत रहम करने वाला (दयालु) है



# विषय सूची

<b>प्रस्तावना</b>	9
<b>लेखक का भूमिका</b>	15
<b>इस्लाम की चंद अहम खूबियाँ</b>	17
अल्लाह के वजूद (अस्तित्व) और तौहीद की दलीलें	18
<b>अध्याय</b>	25
शराएअ (मजहबी कवानीन) की खूबियाँ	26
नमाज की खूबियाँ	26
नमाज के दीनी व दुनियावी फवायेद (लाभ)	27
जकात के लाभ और उसकी खूबियाँ	28
रोजे के लाभ और उसकी खूबियाँ	29
हज्ज के लाभ और उसकी खूबियाँ	30
अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धर्मयुद्ध) करने के लाभ और उसकी खूबियाँ	32
खरीद व फरोख्त (क्रय-विक्रय) की खूबियाँ	35
किरायादारी के लाभ	36
वकालत (प्रतिनिधित्व) और कफालत (जिम्मेदारी- जमानत) की खूबियाँ	37
शुफूआ (पहले खरीदने का अधिकार च्तम.मउच्चजपवद) की खूबियाँ	38
अमानत की अदायेगी की खूबी	39
बीवी के साथ अच्छी तरह गुजर बसर करने का हुक्म	39
<b>तरिका (पैतृक संपत्ति) की खूबियाँ</b>	41
हिबा (दान-बख्शिश) की खूबियाँ	42
हदया व तोहफा (उपहार) के फायदे	43
शादी की खूबियाँ	44
तलाक की अहमियत तथा विशेषता	44
किसास (प्रतिहिंसा) की अहमियत व फायदे	46
शराब की हुर्मत (मनाही) और उसकी हिक्मत	47
<b>इस्लाम की खूबियाँ एक नजर में सलाह-मश्वरा का हुक्म</b>	49
तक्वा-परहेजगारी (संयम) अपनाने की तरगीब (उत्साह प्रदान)	49
बाहमी (पारस्परिक) मुहब्बत करने की तरगीब	50
चुगलखोरी तथा जुल्म की मजम्मत (निंदा)	50
नाता तोड़ने की मजम्मत (संबंध विच्छेद की निंदा)	52
मज़ाक उड़ाने की मुमानअत (मनाही)	52
सलाम करने का हुक्म	52
खड़े पानी में पेशाब करने और मुमिन को तक्लीफ पहुँचाने की मुमानअत (मनाही)	53
दायें हाथ से खाने पीने का हुक्म	54
जनाज़ा के पीछे जाने और छींकने वाले का जवाब देने का हुक्म	54
दावत (निमंत्रण) कबूल करने की अहमियत	55
शक (संदेह) की जगहों से दूर रहने का हुक्म	56
जालिम से बचने का हुक्म	58
सतर पोशी (ऐब छिपाने) का हुक्म	58

मुसलमानों को खुश करने का हुक्म	59
कानाफूसी, फालतू बात तथा बंद जुबानी से बचना	60
बीच रास्ते में बैठने की मुमानअत (मनाही)	61
अल्लाह के नाम पर पनाह (आश्रय) देने का हुक्म	61
<b>नसीहत, इज़ज़त की हिफ़ाज़त, मियानारवी (मध्यवर्तिता) व सब्र का हुक्म</b>	<b>63</b>
यतीम व मिरस्कीन का ख़्याल	65
जानवरों पर रहम तथा दया करने का हुक्म	67
लोगों के मक़ाम व मर्तबा (दरजा व पद) का लिहाज़	68
औरतों के हुक्कू (अधिकार)	70
जाहिलियत के रस्म व रिवाज की मुमानअत (मनाही)	70
दौरे जाहिलियत के अकीदे से इज़तिनाब (अज्ञता काल के धर्म-विश्वास से दूर रहना)	74
<b>बेवफ़ाई और ग़द्दारी की हुर्मत (मनाही)</b>	<b>77</b>
रोज़ी कमाने का हुक्म	78
मोतदिल (परिमित) खाने पीने का हुक्म	79
तंग दस्त (निर्धन) को मुहल्लत (अवकाश) देने का हुक्म	80
रिश्वत की हुर्मत (घूस की मनाही) और नादिम (लज्जित) को माफ़ करने की तरूगीब (उत्साह प्रदान)	81
दीन में ख़ैर ख़ाही (सदुपदेश) का हुक्म	82
सिला रेहमी (नाता बंधन जोड़ने) का हुक्म	83
रहबानियत की मुमानअत (सन्यास तथा संसार त्याग की मनाही)	84
भलाई के काम और आख़िरत की याद की तरूगीब	85
अल्लाह पर पूरा भरोसा की तरूगीब (उत्साह प्रदान)	86
समाज सुधार की तरूगीब (उत्साह प्रदान)	88
झूठी गवाही देने की मनाही	90
दौरे जाहिलियत के रोसूम की मुमानअत (अज्ञता काल के प्रथाओं की मनाही)	90
कुदरती तालाब पर क़ब्ज़ा की मुमानअत (मनाही)	91
हकीकी मुफ़लिस (निर्धन) कौन?	92
पाकीज़ा गुफ़्तगू (अच्छी बात करने) का हुक्म	93
शर्म व हया (लज्जा करने) का हुक्म	93
जानुदार को निशाना बनाने की हुर्मत (मनाही)	94
इंसान की इज़ज़त व सम्मान	94
नुज़ूमी (ज्योतिषी) को सच मानने की मुमानअत (मनाही)	95
इस्तिक़ामत की तरूगीब (उत्साह प्रदान)	96
बंदों पर अल्लाह के फ़ज़्ल व पह़सान (कृपा व उपकार)	97
अच्छी नियत की तरूगीब (उत्साह प्रदान)	97
ग़स्ब (अपहरण), चोरी और लूटे हुए माल के ख़रीदने की हुर्मत (मनाही)	99
सूद की हुर्मत (मनाही)	99
इस्लाम की नेमत को याद रखो	100
इस्लाम सूरज की तरह है	100
<b>इस्लाम अतीत (माज़ी) के आईना में</b>	<b>103</b>



## प्रस्तावना

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد :

सब तारीफ़ अल्लाह तआला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरुद व सलाम नाज़िल हो उसके करीम (उदार) रसूल पर। अम्माबाद (तत्पश्चात): इस्लाम प्राकृतिक धर्म (फ़ितूरत का दीन) है। इस्लाम सारे इंसान व जिन्न का धर्म है। इस्लाम के नबी मुहम्मद ﷺ सारे संसार के लिए रहमत हैं। और इस्लाम धर्म बिना भेदभाव के सब की हिदायत और भलाई के लिए आया है। इस्लाम अल्लाह का आख़री दीन है जिस पर ईमान लाकर और जिसकी शिक्षा (तालीमात) पर अमल करके इंसान अल्लाह की रहमत का हक्दार बन सकता है। और जब अल्लाह की रहमत मिल गई तो इंसान आख़िरत में सफल हो सकता है। इस्लाम और उसकी तालीमात के बारे में जितना भी लिखा जाये वह कम है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम की चंद अहम खूबियों का ज़िक्र मक्सूद (कुछ विशेष गुणों का उल्लेख उद्देश्य) है।

इस्लाम की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि वह अक्ल व फ़िक्र (बुद्धि-चिन्ता) को संबोधन करता है, और मेयारी (उच्च) अक्ल व सोच से पूरे तौर पर सहमत होता है, बल्कि दीन इंसानी अक्ल को मज़ीद रोशनी (अधिक आभा) पहुँचाता और उसको चमकारा करता है, और उसकी सलाहियतों को मुनज़ज़म (विशेषताओं को संगठित) करके इंसानियत की सेवा पर आमादा करता है। वद्य की रोशनी में अक्ल बाबसीरत (दूरदर्शी) हो जाती है जिसके नतीजे में इंसान के आज़ा व जवारिह (अंग-प्रत्यंग) बल्कि उसका सारा वुजूद (अस्तित्व) दुनिया की हर चीज़ से संपर्क ख़त्म करके सिर्फ़ अल्लाह तआला के सामने सज्दा करने

लगता है। अक्ल की दुनिया में यह इंकिलाब वास्तव में वद्य के फैज़ान (की बरकत) का नतीजा है। इस लिए अब उसकी सोच का दायरा (परिधि) महदूद (सीमित) दुनिया से बहुत आगे आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से आज़ादी और जन्नत की प्राप्ति होती है।

इस्लाम की बड़ी खूबियों में से एक बड़ी खूबी यह है कि वह इंसानी ज़िंदगी के पाँच अहम अनासिर का मुहाफ़िज़ (विशेष उपादान का रक्षक) तथा निगराँ है:

- ① नफ़्स का मुहाफ़िज़,
- ② अक्ल का मुहाफ़िज़,
- ③ दीन का मुहाफ़िज़,
- ④ माल का मुहाफ़िज़,
- ⑤ इज़्ज़त व आबरु का मुहाफ़िज़।

अगर ग़ौर से देखा जाये तो इन्ही पाँच चीज़ों की रक्षा तथा हिफ़ाज़त का नाम तहज़ीब व तमद्दुन (शिष्टता व सभ्यता) है। और जिन जाति व संप्रदाय और उनकी हुकूमतों, और उनके दानिशवरों (बुद्धिमानों) ने इन पाँच मैदानों में सफलता प्राप्त की, इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जायेगा।

इस्लाम की एक बड़ी खूबी यह है कि वह अपने मानने वालों को और अपने मुंकिरीन (निवर्तकों) सबको इंसान होने के नाते असंख्य अधिकार व सहूलतें प्रदान करता है, बल्कि जानवरों के अधिकार का भी पासदार (ख़्याल रखने वाला) है, वह चरिंद व परिंद (पशु-पक्षी) और मौसम का पासवान तथा रक्षक है।

इस्लाम की एक बड़ी खूबी यह है कि उसने समाज के हर तबके (वर्ग) के लिए वाज़िह तालीमात (स्पष्ट शिक्षाएं) दीं। मर्द के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और बूढ़ों के लिए अलग। आका और गुलाम के तअल्लुकात (स्वामी और दास के संबंध) कैसे होने चाहिए, पति पत्नी शादी ब्याह के रिश्ता में कैसे मुन्सलिक (संबद्ध) हों और कैसे ज़िंदगी गुज़ारें, और अगर ज़िंदगी अजीरन (दूभर) हो जाए तो अपनी अपनी राह लेने का अच्छा

सा तरीका कौनसा है? सुलह (संधि) के दिन हों या जंग (युद्ध) के, गैर मुस्लिमों से मुसलमानों के तअल्लुकात (संबंध) किस तरह होने चाहियें? सच यह है कि इस्लाम ने मर्दों, औरतों तथा बच्चों के लिए मुस्तक़िल आदाब (स्वतंत्र व्यवहार-नियम) बताए हैं।

इंसान की फ़ित्री ज़रूरत (प्राकृतिक आवश्यकता) और उसकी प्रकृति में से है कि मर्द और औरत अह्ददे बुलूग़त (यौवन काल) में दोनों एक दूसरे के करीब (समवयस्क) हों, प्यार व मुहब्बत की परिस्थिति (माहौल) में ज़िंदगी गुज़ारें और आपस में मिल जुल कर ज़िंदगी बसर करने में खुश तथा प्रसन्न हों। लेकिन इस फ़ित्री ज़रूरत की तक्मील (समापन करने) को खुल्लम-खुल्ला नहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि इससे दुनिया में फ़साद पैदा होगा और अमन व शांति की तलाश में प्रयत्नवान (सर गर्दों) समाज फ़िल्ता व फ़साद की फैक्टरी बन जायेगा। उसके लिए इस्लाम ने शादी-ब्याह का स्थायी एक निज़ाम बनाया, जिस पर अमल करते हुए मर्द तथा औरत एक रिश्ते में मुन्सलिक (संबद्ध) हो जाते हैं और इस तरह दो दिल आपस में मिल जाते हैं। अल्लाह तअ़ाला ने इस निज़ाम की बरक़त से उन जोड़ों के दिलों में मुहब्बत कूट कूट कर भर दी, जिसके नतीजा में एक ख़ानदान वुजूद में आता है जो आपस में निहायत मानूस हो जाता है और भविष्य में यही मुत्मइन (प्रशांत) ख़ानदान समाज के अमन व शांति का उन्वान (प्रतीक) बनता है।

अगर हर मर्द और औरत इस बात में आज़ाद होते कि जो जिसके साथ बिना किसी नियम-क़ानून तथा रोक-टोक के चाहे रहे, और ऐश व आराम (भोग-विलास) करे तो आज दुनिया में शायद कोई ज़िंदा ही नहीं रहता या शायद दुनिया खंडर का नमूना होती।

चूँकि इंसानी नस्ल की बका (नित्यता) और समाज के अमन व शांति का रास्ता मर्द व औरत की शांति प्रिय ज़िंदगी से होकर गुज़रता है, इस लिए गर्भधारण

(हम्ल) तथा जन्मग्रहण (विलादत) की मंज़िलों से गुज़र कर जब औरत माँ का मुकद्दस (पवित्र) रूप धारण करती है और मर्द को बाप बनने का शरफ़ (गौरव) हासिल होता है और नवजात दोनों ही का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का तारा तथा उनकी आँख का टंडक होता है। इस मर्हला में पति पत्नि का संबंध घनिष्ठ हो जाता है और उसकी तर्बियत (पालन-पोषण) के नुक़्ते पर वह एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। बच्चा की विलादत के बाद इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ (एकता) और प्रीति व शांति का एक किब्ला मयस्सर (दिशा सुलभ) हो जाता है, जिस एकता के नुक़्ते पर दोनों की निगाहें बैठ जाती हैं और दोनों उसकी परवरिश तथा देख-भाल पर बहुत संजीदा (गंभीर) हो जाते हैं। पता चला कि इस शादी-ब्याह के रिश्ते से केवल एक जोड़े का मिलाप ही नहीं होता बल्कि एक ख़ानदान वुजूद में आ जाता है, और मर्द व औरत के ख़ानदानों के बीच यह नौ मौलूद (नवजात) अधिक मजूबूत राबिता का उन्वान (दृढ़ संबंध का विषय) बन जाता है। इस्लाम ने तो भाँजे को भी मामा के ख़ानदान का एक फ़र्द (सदस्य) करार दिया है। जैसाकि हदीस में आया है: **“أَبْنُ أُخْتٍ”** **“أَنْفُومٍ مِنْهُ”** अर्थात् ((बहन का लड़का कौम में से है।)) इस तरह से समाज में अम्न व शांति का रिवाज होता है, लोगों को खुशियाँ नसीब होती हैं और इंसानी नस्ल का तसलसुल (निरंतरता) बरकरार रहता है। इस फ़ित्री तसल्ली बख़्श जज़्बा (प्राकृतिक सांत्विक एहसास) के शर्इ निज़ाम (मजूहबी क़ानून) से जिसकी असास (नींव) पर इंसानी समाज की इमारत कायम तथा स्थापित है, अगर मर्द व औरत के मिलाप की कोई और ग़ैर शर्इ (अनैतिक) सूरत होती तो उसका अंजाम (परिणाम) समाज में बेचैनी, क़ल्ल व ख़ूरेज़ी (रक्तपात) और बेसहारा तथा नाजायज़ औलाद की शक्ल (रूप) में सामने आता, जिससे समाज में बिगाड़ के अलावा कुछ न हासिल होता। दुनिया के समाजी क़ानून में जो बिगाड़ पाया जाता है उसका हल (समाधान) सिर्फ़ इस्लामी निकाह तथा इस्लाम के समाज व्यवस्था में है।



कुरआन व हदीस का ज्ञान रखने वालों पर इस्लाम की विशेषतायें तथा खूबियाँ पोशीदा नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को ज़रूरत होती है कि वह इस्लाम की खूबियों को इख़्तिसार के साथ (संक्षिप्त रूप से) जान ले। उलमा (विद्वानों) ने किताब व सुन्नत की रोशनी में इस्लाम की खूबियाँ और इस्लामी तालीमात की खूबियों को उजागर (प्रकट) किया है।

कुछ ज़ेरे नज़र (वक्ष्यमाण) पुस्तक “इस्लाम धर्म की खूबियाँ” के बारे में: सज़दी अरब के मशहूर आलिम (विद्वान) शैख़ अब्दुल अज़ीज़ मुहम्मद अस्सलमान रहेमहुल्लाह ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें इस्लामी तालीमात को साधारण अंदाज़ में पाठक के सामने पेश किया गया है। आपकी किताबें बड़ी तादाद (विपुल संख्या) में मुफ़्त तक़सीम होती रही हैं और उनसे लोग फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। आपकी बेहतरीन तस्नीफ़ात (रचित ग्रंथों) में से ज़ेरे नज़र (वक्ष्यमाण) ग्रंथ “इस्लाम धर्म की खूबियाँ” भी है जिसका इख़्तिसार (संक्षेप) उर्दू में बहुत ज़माना पहले प्रकाशित हो चुका है। इस किताब के उर्दू तथा हिन्दी प्रचार के लिए नये सिरे से निस्बतन (तुलना मूलक) ज़्यादा जामेअ (व्यापक) उर्दू तथा हिन्दी नुसूखा (प्रति) तैयार किया गया है, जिसमें कुरआनी आयतों के साथ साथ उनके तर्जुमे शाह फ़हद कम्प्लेक्स के अनुवादित (मुतर्जम) मुसहफ़ से माखूज़ (संगृहीत) हैं। और हदीसों को तख़रीज के साथ पेश किया गया है तथा साथ में उनका तर्जुमा भी दे दिया गया है। ज़बान व बयान में आसान उस्लूब (शैली) को अख़्तियार किया गया है, ताकि इस किताब से ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठायें। इस किताब की तैयारी में जिन लोगों ने हाथ बटाया है वह सब शुकरिया के हक्दार हैं। उन में काबिले ज़िक्र (उल्लेख योग्य) शैख़ अबू अस्अद कुतुब मुहम्मद अल्असरी हैं जिन्होंने किताब का उर्दू में तर्जुमा किया, तथा हिलालुद्दीन रियाज़ी ने इसे कम्पोज़ करके इस काबिल बनाया कि यह पाठक के हाथों में जा सके, और शैख़ अबू यासिर जाकिर हुसैन ने किताब का हिन्दी में तर्जुमा तथा कम्पोज़ किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह तआला किताब के लेखक, उनकी

आल्-औलाद और इसके प्रचार में हिस्सा लेने वाले सभी शूरका (साझीदारों) की नेकियों को कबूल करे, और हमें अधिक इस बात की तौफ़ीक़ (प्रेरणा) दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब व सुन्नत की तालीमात को आ़ाम करें। व सल्लल्लाहु अ़ला सैइदिना मुहम्मद व अ़ला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अर्थात हमारे सर्दार मुहम्मद, उनके परिवार-परिजन (आल औलाद) और उनके साथियों (सहाबा) पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो।

डाक्टर अ़बदुरहमान अ़ब्दुल जब्बार अल्फ़रेवाई  
अध्यापक हदीस, अल्इमाम मुहम्मद बिन सुज़द  
इस्लामिक यूनीवर्सिटी, रियाज़





## लेखक का भूमिका

الحمد لله الذي تفرّد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

सब ता'रीफ़ (प्रशंसा) उस अल्लाह के लिए जो जलाल व अज़मत (महता व श्रेष्ठता), इज़्ज़त व बड़ाई और जमाल (सौंदर्य) में यकता (अद्वितीय) तथा बेमिसाल (अनुपम) है। और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ उस शर्मसार (लज्जित) बंदा की तरह जो उसके फज़ल व करम तथा एहसान का पूरे तौर पर शुक्र अदा न करने का स्वीकर्ता (इक़रार करने वाला) है। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह उन पर और उनके परिवार-परिजन (आल औलाद) तथा उनके साथियों (सहाबा) पर बहुत बहुत दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमाये।

मैं ने इस्लाम धर्म की खूबियों का एक मज्मूआ (समष्टि) तैयार किया था और उसे अपनी किताब “मवारिदुज़् ज़म्आन लिदुरुसिज़्ज़मान” में शामिल किया था। चंद ख़ैर अन्देशों (शुभ चिंतकों) ने यह राय दी कि इस्लाम की खूबियों के इस मज्मूआ को किताब से अलग छाप कर मुसलमानों और ग़ैर मुस्लिमों में तक्सीम किया जाये। उम्मीद है कि अल्लाह तआला उनको इसके द्वारा लाभ पहुँचाये और जिन्हें हिदायत व तौफ़ीक़ देना मंज़ूर हो, उनके लिए इस किताब को हिदायत का ज़रीया बना दे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस अमल को अपनी ज़ाते करीम (उदार हस्ती) के लिए ख़ास कर ले, और जिन्होंने भी इस किताब को छपवाया

तथा उसकी नशूर व इशाअत (प्रचार प्रसार) में हाथ बटाया, और जिन्होंने इसे पढ़ा तथा सुना, सबको अल्लाह इसका बेहतरीन बदला प्रदान करे, बेशक वह सुनने वाला, समीप तथा कबूल करने वाला है। ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद पर और उनके परिवार-परिजन (आल औलाद) पर दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमा।





## इस्लाम की चंद अहम खूबियाँ

अल्लाह के बंदो! अल्लाह तअ़ाला (जो कहने वालों में सबसे सच्चा है) फ़रमाता है:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ३]

“आज मैं ने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल (परिपूर्ण) कर दिया, तुम पर अपना इनअ़ाम (उपहार) भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रिज़ामंद (प्रसन्न) हो गया।” (अल्माइदा: ३)

अल्लाह तअ़ाला ने सभी धर्मों पर इस्लाम धर्म को ग़ालिब (विजय) करके उसे मुकम्मल फ़रमाया, और अपने बंदा तथा रसूल (संदेष्टा) मुहम्मद ﷺ की मदद फ़रमाई, और मुश्रिकों (अनेकेश्वरवादियों) को बुरी तरह ज़लील व रुस्वा किया, जो मुसलमानों को उनके दीन से रोकने के लिए बड़े हरीस तथा बज़िद (लोलुप तथा आग्रही) थे। उन्हें इसकी बहुत लालच थी, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम का ग़लबा और उसकी इज़ज़त व कामयाबी देखी तो मुसलमानों को अपने दीन में दोबारा वापस लाने से हर तरह मायूस (निराश) हो गए और उनसे घबराने लगे, और अल्लाह तअ़ाला ने अपनी इस नेमत (उपहार) को हिदायत, तौफ़ीक़ और ग़लबा व ताईद (जय व समर्थन) के ज़रीया अपने बंदों पर पूरी कर दी, और दीन की हैसियत से इस्लाम को हमारे लिए पसंद फ़रमाया, और इस्लाम को ही सभी धर्मों में हमारे लिए मुन्तख़ब (चयन) फ़रमाया। अल्लाह के नज़दीक इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन क़बिले क़बूल (ग्रहण योग्य) नहीं। जैसाकि अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

“और जो व्यक्ति इस्लाम के अलावा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल न किया जायेगा, और वह आखिरत (परलोक) में घाटा उठाने वालों में होगा।”

(आल इम्रान: ८५)

## ❁ अल्लाह के वुजूद (अस्तित्व) और तौहीद की दलीलें

ऐ लोगो! जिनके चिंता-भावना तथा विचार साफ़ सुथरे थे, उन्होंने इस्लाम के तालीमात (शिक्षाओं) पर नज़र दौड़ाई तो उसे गले से लगा लिया। और जब उसकी महान हिकमतों (रहस्यों) पर चिंता-भावना किया तो उसे महबूब (प्रिय) बना लिया। और जब उन दिलों पर इस्लाम के इब्तिदाई हकीमाना मसायेल (प्राथमिक वैज्ञानिक तत्व) का सिक्का जम गया, तो उन्होंने उसकी महानता व बड़ाई को स्वीकार कर लिया। और जब आदमी सही सूझ बूझ, उज्वल विवेक (रौशन बसीरत) और सही चिंता-भावना करने वाला होता है तो उसका रिश्ता इस्लाम से बहुत मज़बूत (दृढ़) हो जाता है। क्योंकि इस्लाम में बड़ी खूबियाँ और महान श्रेष्ठता मौजूद हैं। जब इस्लाम ने तौहीद के अकीदे (अद्वैतवाद के विश्वासों) को पेश किया तो अक्ले सलीम को बड़ी राहत मयस्सर (शुद्ध विवेक को चैन सुलभ) हुई, और सीधी तबीअत (प्रकृति) ने इसका इक़्रार किया। और तौहीद इस एतिक़ाद (विश्वास) की दावत (निमंत्रण) देती है कि पूरी दुनिया का एक ही हकीकी माबूद (सत्य उपास्य) है जिसका कोई शरीक व साझी नहीं, वह अब्वल (प्रथम) है उसकी कोई शुरूआत नहीं, और वह आख़िर (अंत) है जिसकी कोई इंतहा व हद नहीं।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ११]

“उसके मिस्ल (सदृश) कोई चीज़ नहीं, और वह सुनने वाला देखने वाला है।”  
(अश्शूरा: ११)

वही पूरी कुदरत (क्षमता) वाला, मुत्तलक़ इरादे (नितांत इच्छाओं) का मालिक तथा उसका ज्ञान पूरी काइनात को मुहीत (जगत को परिवेष्टित) है। सारी मख़्लूक (सृष्टि) का उसके सामने झुकना और उसकी फ़रमाबर्दारी (आज्ञाकारिता) करना

आवश्यक है, और उसी की मर्जी के अनुसार अमल करना ज़रूरी है, और उसके तमाम हुकमों को बजा लाना वाजिब है और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचना आवश्यक है। उसने नफ़स तथा संसार में दलायेल व बराहीन (युक्ति व तर्क) कायम किये हैं, और बुद्धिमानों को उन पर ग़ौर करने तथा उनसे दलील हासिल करने की तर्गीब (उत्साह) दी है, ताकि उनके ज़रीया अल्लाह का परिचय और महानता (मारिफ़त और अज़मत) उपलब्ध करके हुकूक (प्राप्यों) को अदा कर सकें। अतः तुम कभी कभार सोचते होगे कि खुद तुम्हारा वुजूद और किसी भी चीज़ का वुजूद किसी पैदा करने वाले के बग़ैर मुम्किन (संभव) नहीं है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ३०]

“क्या यह बग़ैर किसी (पैदा करने वाले) के अपने आप पैदा हो गए हैं या यह स्वयं पैदा करने वाले हैं।” (अत्तूर: ३५)

रही यह बात कि इंसान अपना खुद मूजिद (आविष्कर्ता) है तो इस बात का कुछ लोगों ने दावा किया है, लेकिन इंसान का यूँ ही बग़ैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो जाना यह ऐसी बात है जिसे फ़ित्रत की ज़बान शुरू ही से खंडन करती आई है, जिसके लिए कम या ज़्यादा किसी वाद विवाद की ज़रूरत नहीं। और जब यह दोनों ही बातिल साबित (अनृत प्रतिपन्न) हुए तो केवल यही एक हकीकत बाकी रह जाती है जिसका एलान कुरआन कर रहा है, और वह यह कि मख़्लूक (सृष्टि) को केवल उस अल्लाह ने पैदा किया जो एक अकेला अद्वितीय तथा बेनियाज़ (निस्पृह) है।

﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ३-४]

“न उससे कोई पैदा हुआ और न उसे किसी ने पैदा किया, और न उसका कोई हम्सर (समकक्ष) है।” (अल्इख़्लास: ३-४)

और कभी आदमी जब आस्मान व ज़मीन की ओर निगाह उठा कर सोचता

है कि क्या उसे इंसानों ने पैदा किया है? क्योंकि आस्मान व ज़मीन ने अपने आपको तो खुद से पैदा नहीं किया है जैसाकि इंसान खुद से पैदा नहीं हुआ, और कभी आदमी जब विवेक-बुद्धि तथा दृष्टि के सामने फैले हुए आस्मान की ओर अपनी निगाह डालता है और उसमें चमकते सूरज, रौशन चाँद और झिलमिलाते सितारों (नक्षत्रों) को देखता है तो बेधड़क ज़बान से निकल जाता है:

﴿ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان: ६१]

“बा बरूकत (अत्यंत शुभ) है वह ज़ात जिसने आस्मान में बुर्ज (बड़े बड़े ग्रह) बनाये और उसमें सूर्य तथा प्रकाशित चन्द्रमा बनाया।” (अल्फुरकान: ६१)

और ज़बान यह भी कहने लगती है:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [يونس: ०५]

“वह (अल्लाह तआला) ऐसा है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी (प्रकाशमय) बनाया तथा उसके लिए मंज़िलें मुक़रर (गंतव्य स्थल निर्धारित) किये, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो।” (यूनस: ६१)

फिर यूँ कहने लगेगी:

﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: १६१]

“वह (अल्लाह तआला) सुबह का निकालने वाला है, और उसने रात को आराम के लिए और सूरज एवं चाँद को हिसाब लगाने के लिए बनाया। यह ठहराई (निर्धारित) बात है ऐसी ज़ात की जो क़ादिर (परम प्रभावी) और बड़े इल्म वाला (ज्ञाता) है। (अल्अनुआम: ६६)

और यह भी कहती है:

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَبَّيْنَاهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [سورة ق: १६]



“क्या उन्होंने आस्मान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया है और ज़ीनत (शोभा) दी है? उसमें कोई शिगाफ़ (दरार) नहीं।” (काफ़: ६) और यह भी कहती है:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: १८०]

“क्या उन लोगों ने ग़ौर नहीं किया आकाशों तथा धरती लोक में और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं।” (अल्आराफ़: १८५)

और यह भी कहती है:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [۳] ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرِّيْنًا يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملک: ۴-۳]

“जिसने सात आकाश ऊपर-नीचे पैदा किये (तो हे देखने वाले! तू) रहमान (अल्लाह) की पैदाइश में कोई असंगति न देखेगा, दोबारा (नज़रें डाल कर) देख लो कि क्या कोई चीर भी दिखाई दे रही है? फिर दोहरा कर दो-दो बार देख लो, तुम्हारी निगाह तुम्हारी ओर हीन होकर थकी हुई लौट आयेगी।” (अल्मुल्क: ३-४)

और यह भी कहती है:

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَّجَعَتْ مِنْ أَعْتَابٍ وَرَزَعٌ وَنَجِيلٌ صَوَانٌ وَعَبْرٌ صَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُقُضَلٌ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾ [الرعد: ६]

“और धरती में विभिन्न प्रकार के टुकड़े एक-दूसरे से मिले जुले हैं, और अंगूरों के बागात (उद्यान) हैं तथा खेत हैं एवं खजूरों के वृक्ष हैं, शाखाओं वाले तथा कुछ ऐसे हैं जो शाखाओं वाले नहीं, सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बर्तरी (श्रेष्ठता) देते हैं।” (अर्राद: ४)

अंगूर के वृक्ष को हन्ज़ल (इंदराइन का वृक्ष जो सख्त कड़वा होता है) के बगल में ज़मीन के एक ही टुकड़े में तुम देखते हो, दोनों एक ही पानी से सैराब होते (सींचे जाते) हैं, हर वृक्ष की जड़ें ज़मीन से अपनी मुनासिब गिज़ा (उपयुक्त खाद्य) चूस रही हैं जिससे उनका ढाँचा कायम है, और हर वृक्ष अपना अपना फल देता है, जो दूसरे वृक्ष के फल से रंग, मज़ा और बू में बिल्कुल मुख़तलिफ़

(भिन्न) होता है। और इसी तरह आस पास के दूसरे दरख्तों का भी यही हाल जिनकी ज़मीन एक और पानी एक है लेकिन रंग और मज़ा अलग अलग है, क्या यह पता नहीं देती कि एक बनाने वाले, हकीम कादिर का वुजूद बरहक़ (परम ज्ञानी तथा सक्षम का अस्तित्व सत्य) है?

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [البقرة: २६८]

“बेशक इसमें अल्लाह की बड़ी निशानी है।” (अल्बकरा: २४८)

कभी आदमी आस्मान से नाज़िल होने वाले पानी की तरफ़ देखता है जिससे ज़िंदगी का सहारा कायम है, अगर अल्लाह चाहता तो उसे खारा बना देता जिससे कोई फ़ायदा न होता। और कभी अल्लाह अपनी वहुदानियत और मुल्क व तद्बीर में अपनी इनफ़िरादियत पर कलाम (एकत्ववाद और बादशाहत व परिचालना में अपनी अनुपमता पर बात) करता है, अर्थात:

﴿مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ९१]

“अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई, और न उसके साथ कोई माबूद है।” (अल्-मोमिनून: ९१)

और दूसरी आयत में संक्षिप्त शब्दों (मुख्तसर अल्फ़ाज़) में तथा महान अर्थ के साथ इर्शाद फ़रमाया:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: २२]

“अगर आस्मान व ज़मीन में अल्लाह के सिवा और कोई माबूद होता तो आस्मान व ज़मीन तबाह व बर्बाद हो चुके होते।” (अल्-अम्बिया: २२)


इनके अलावा दूसरे बहुत से दलाएल (प्रमाण) हैं। और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ऐसी इबादतें मशरूअ (शरीअत सम्मत) की हैं, जो नफ़सों (आत्माओं) को संवारती और उसकी सफ़ाई करती हैं, और तअल्लुकात को मुनज़्ज़म और क़वी (संबंधों को संगठित और शक्तिशाली) करती हैं, और दिलों को जोड़ती और उसे पाकीज़ा (निर्मल) बनाती हैं। इस्लाम इसी तालीम व शिक्षा को लेकर

नुमूदार (आविर्भूत) हुआ जिसकी दावत (आह्वान) पर तमाम पैगम्बर मुत्तहिद (सहमत) थे। अल्लाह तअ़ाला ने फ़रमाया:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13]

“अल्लाह तअ़ाला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुक़र्रर कर दिया है जिसके कायम करने का उसने नूह عليه السلام को हुक्म दिया था, और जो (वह्य द्वारा) हमने तुम्हारी ओर भेज दी है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (अलैहिमुस्सलाम) को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना, जिसकी तरफ़ आप उन्हें बुला रहे हैं, वह तो (इन) मुश्रिकों पर गिराँ (भारी) गुज़रती है। अल्लाह तअ़ाला जिसे चाहता है अपना बरूग़ुज़ीदा बंदा (सदात्मा) बनाता है, और जो भी इस तरफ़ रुजू करे वह उसकी सही रहनुमाई (मार्ग दर्शन) करता है।” (अश्शूरा: 93)

ऐ अल्लाह! हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर (आलोक से आलोकित) फ़रमा, और हमें हमारे नफ़्स और शैतान की बुराई से पनाह में रख, और अपनी इताअत की हमें तौफ़ीक़ (आज्ञाकारिता की प्रेरणा) दे, और नाफ़रमानी से हमें बचा। और ऐ अर्रहमर्राहिमीन (दया करने वालों में सबसे अधिक दया करने वाले)! अपनी रहमत से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) को और तमाम मुसलमानों को क्षमा कर दे। व सल्लल्लाहु अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अर्थात मुहम्मद, उनके परिवार-परिजन और उनके साथियों (सहाबा) पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो।







## अध्याय

सभी इन्साफ़ पसंद (न्याय प्रिय) मुहक्किनीन (गवेषकों) ने इस बात की स्वीकृति दी है कि हर फ़ायदामंद इल्म चाहे वह दीनी हो या दुनियावी या सियासी कुर्रआन ने उसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। अतः इस्लामी शरीअत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अक्ल (विवेक-बुद्धि) महाल (असंभव) समझती हो, बल्कि इसमें वही बातें हैं जिनकी सच्चाई व उपकारिता (इफ़ादियत) तथा दुरुस्तगी (यथार्थता) की अक्ले सलीम (गंभीर विवेक) गवाही देती है। इसी तरह इस्लाम के तमाम अहक़ाम (विधि-विधान) इन्साफ़ तथा न्याय पर आधारित हैं, उनमें किसी तरह की कोई जुल्म व ज़्यादती नहीं। जिस चीज़ का भी इस्लाम ने हुक्म दिया है वह सरासर भलाई या उसकी ओर ले जाने वाली है, और जिस चीज़ से उसने मना किया वह सरासर बुराई है या कम से कम उसकी बुराई उसकी अच्छाई पर ग़ालिब है। अक्लमंद (बुद्धिमान) होशियार आदमी जब भी इस्लाम के अहक़ामात पर ग़ौर करता है तो उसका ईमान व इख़्लास मजबूत हो जाता है। और जब वह इस ठोस दीन पर ग़ौर करता है तो यह पाता है कि इस्लाम मकारिमे अख़्लाक (सुंदर चरित्र), सच्चाई व सफ़ाई, पाकदामनी व सतीत्व, न्याय व इन्साफ़, वादे की पाबंदी, अमानतों की अदायेगी, यतीम और मिस्कीन के साथ हुस्ने सुलूक (सदाचरण), पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव, मेहमान की इज्ज़त व सम्मान, अच्छे अख़्लाक से आरास्ता (सुसज्जित) होने, मियाना रवी (मध्यवर्तिता) के साथ ज़िंदगी की लज्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने (स्वादों को उपभोग करने) और नेकी तथा तक्वा व परहेज़गारी की दावत देता है। और बेहयाई (निर्लज्जता) व मुन्कर (शरीअत के ख़िलाफ़ बात) और पाप व अन्याय से रोकता है। वह केवल उन्हीं बातों का हुक्म देता है जिसका फ़ायदा दुनिया को सआदत व फ़लाह (सौभाग्य व कल्याण) की सूरत में प्राप्त होता है। और उन्हीं बातों से रोकता है जो लोगों में बदबख़्ती (दुर्भाग्य) और नुक़सान का कारण होती है।

## शराएअ (मजहबी क़वानीन) की खूबियाँ

और इस्लाम के बड़े बड़े मजहबी क़ानून अर्थात नमाज़ कायम करने, ज़कात अदा करने, रमज़ान का रोज़ा रखने और अल्लाह के घर का हज्ज करने की खूबियों पर गौर करो।

## नमाज़ की खूबियाँ

जब तुम नमाज़ पर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि नमाज़ बंदा और अल्लाह के बीच एक खुसूसी तअल्लुक़ (विशेष संबंध) है। तुम उसमें अल्लाह के लिए इख़्लास और उसकी तरफ़ ध्यान और अदब व सम्मान, प्रशंसा व प्रार्थना, और खुजूअ (विनय) और बंदा की तरफ़ से अपने रब के लिए अज़मत व जलाल का मजूर (महानता व प्रताप का दर्शन) पाओगे। और अपने आका व मालिक (प्रभु व स्वामी) के लिए ताज़ीम व तक्दीस व किब्रियाई (सम्मान व पवित्रता व बड़ाई) वाजिबी तौर पर बयान करने की राह दिखाता है। गुलामी की शान आका के हुज़ूर (समीप) होती है, आदमी अपने रब के सामने खड़ा होकर इक़रार करता है कि वह हर चीज़ से बड़ा है और वही बड़ाई व बुजुर्गी का हक़दार है (अल्लाहु अक्बर), फिर बंदा अल्लाह के शायाने शान (प्रतिष्ठा योग्य) उसकी हम्द व सना (प्रशंसा व स्तुति) बयान करता है, और बंदगी में सिर्फ़ उसी को ख़ास करता है, और उसी से आह व ज़ारी (विलाप विनति) करते हुए मदद का तालिब (आवेदक) होता है कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तक़ीम (सीधे मार्ग) की तरफ़ रहनुमाई कर दे, और उन लोगों की राह दिखला जिन पर तू ने तौफ़ीक़ व हिदायत का इन्आम (अनुकम्पा) किया, और उन लोगों की राह से बचा ले जिन पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ, क्योंकि वह सीधी राह को मालूम करके भी उससे मुन्हरिफ़ (विमुख) हो गए, और अल्लाह उन गुम्राह (पथभ्रष्ट) लोगों की राह से दूर रखे जो सत्य मार्ग से हट गए, जिन्होंने अपनी ख़ाहिशात (इच्छाओं) और शैतान की गुलामी की।

और उस समय आत्मा अल्लाह की बड़ाई और उसकी हैबत व जलाल (आतंक

व प्रताप) से भर जाता है, और फिर बंदा अपने मुअज़्ज़ज़ अजूज़ा (आदृत अंगों-प्रत्यंगों) के बल अल्लाह के सामने सज्दे में गिर जाता है, और ज़िल्लत व लाचारी का इज़्हार (प्रकटन) उस ज़ात के सामने करता है जिसके हाथ में आस्मानों और ज़मीनों की कुंजियाँ हैं। दीनी हैसियत (धार्मिक दृष्टिकोण) से नमाज़ की खुसूसियतें (विशेषतायें) वास्तव में विश्व-जहान के प्रतिपालक के सामने झुकना और उस काहिर व कादिर (प्रवल व शक्तिशाली) की बड़ाई का इक़रार तथा स्वीकृति है। और जब दिल इस हकीकत को अच्छी तरह समझ जाता है और नफ़्स (हृदय) अल्लाह की हैबत (डर व भय) से भर जाता है, तो आदमी हराम चीज़ों से रुक जाता है। और यह कोई तअज़्जुब (आश्चर्य) की बात नहीं, क्योंकि नमाज़ के बारे में अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [الغنکبوت: ६०]

“बेशक नमाज़ बेहयाई व बुराई से रोकती है, निःसंदेह अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है।” (अल्-अन्कबूत: ४५)

और नमाज़ दीन व दुनिया के कामों में नमाज़ी की सबसे बड़ी सहायक है। अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ६०]

“सब्र और नमाज़ के साथ मदद तलब करो।” (अल्-बकरा: ४५)

## ❁ नमाज़ के दीनी व दुनियावी फ़वायेद (लाभ)

नमाज़ दीनी विषयों में इस तरह सहायक है कि बंदा जब नमाज़ का पाबंद हो जाता है, और उस पर हमेशगी (निरंतरता) बरतता है तो नेकियों में उसकी रग़बत (रुची) बढ़ जाती है, और बंदगी आसान हो जाती है, और नफ़्स के इत्मीनान और अज़्र व सवाब की प्राप्ति, नेकी की उम्मीद के जजूबे (मनोविकार) से एहसान (उपकार) करने लगता है। और दुनियावी भलाइयों में नमाज़ इस तरह सहायक है कि वह परेशानी को आसान कर देती है, और मुसीबतों में

तसल्ली (सांत्वना) का ज़रीया बनती है। और अल्लाह तआला अच्छे अमल करने वालों का अज़्र बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके कामों को आसान करके और उसके माल व आमाल में बर्कत प्रदान करके उसको प्रतिदान देता है।

और जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने से जान पहचान, मुलाकात, मुहब्बत व मेहरबानी और रहम दिली हासिल होती है, और छोटे बड़े में वफ़ार (गंभीरता) व मुहब्बत बढ़ती है, और उससे नमाज़ की कैफ़ियत (पद्धति) की अमली शिक्षा प्राप्त होती है।

## ❁ ज़कात के लाभ और उसकी खूबियाँ

और ज़कात की फ़र्ज़ियत पर ग़ौर करो तुमको बड़ी महान खूबियाँ नज़र आएंगी, उदाहरण स्वरूप (मसलन): फ़कीरों की हालत की सुधार, बेचारों की हाजत रवाई (आवश्यकता पूर्ती), कर्जदार के कर्ज की अदायेगी, सखियों (उदारों) जैसा अख़लाक पैदा होना और कमीनों के अख़लाक से दूर रहना। और ज़कात थोड़ा खर्च करने पर भी दिल को दुनिया की मुहब्बत से पाक कर देती है, इससे माल तमाम हिस्सी और मअूनवी (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) कमियों तथा ख़राबियों से महफूज़ (सुरक्षित) हो जाता है। और ज़कात से अल्लाह के रास्ते में जिहाद और उन तमाम कामों में बड़ी मदद मिलती है जिनसे मुसलमान बेनियाज़ (अमुखापेक्षी) नहीं हो सकते, इसी तरह से फ़कीरों के हमला से बचाव होता है, और यह समाज की बेहतरीन (श्रेष्ठतम) दवा और आत्माओं का इलाज (चिकित्सा) है, इससे आदमी कंजूसी की रज़ालत (नीचता) से पाक व साफ़ हो जाता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَمَنْ يُؤَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ९]

“जो भी अपने नफ़्स की कंजूसी से बचाया गया वही कामयाब है।” (अल्-हश्र: ९)

ज़कात का एक महान लाभ यह भी है कि अगर उसे मालदार सही तौर पर अदा करें तो इतिहा पसंद सोशलिज़्म और ज़ालिमाना कम्यूनिज़्म (चरमपंथी समाजतंत्र



और अत्याचारपूर्ण साम्यवाद) की जड़ कट जाए। इसी तरह अगर ज़कात पूरी अदा कर दी जाये तो उससे शासकों को चैन हासिल हो, और उनकी कोशिशें उन चीज़ों पर सर्फ़ (व्यय) हों जिनका लाभ उम्मत को कामयाबी और ज़िंदगी की खुशहाली की शकल में नुमूदार (प्रकट) हो।

## ❁ रोज़े के लाभ और उसकी खूबियाँ

रोज़ा और उसकी खूबियों पर गौर करो। उन खूबियों में से चंद क़ाबिले ज़िक्र (उल्लेख योग्य) यह हैं:

- ❁ रोज़ा इंसान में फ़कीरों के साथ दया व प्रेम की फ़ज़ीलत (मर्यादा) और कंगालों पर रहम दिली की खूबी पैदा करता है, क्योंकि इंसान जब भूका होता है तो भूके फ़कीर को याद करता है, और जब वह खाने से रुक जाता है तो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत का फ़ज़ूल (अनुकम्पा) अनुभव करके उसका शुक्र (कृतज्ञता) अदा करता है।
- ❁ रोज़ा सब्र और बुर्दबारी (सहिष्णुता) पर आत्मा को शक्तिशाली करता है। और यह दोनों अभ्यास इंसान को हर उस काम से रोकते हैं जिससे गुस्सा भड़कता है, क्योंकि रोज़ा आधा सब्र है, और सब्र आधा ईमान है।
- ❁ रोज़ा शरीर को दूषित चीज़ों से साफ़ करता है।
- ❁ रोज़ा आत्माओं को संवारता है और रूहों की सफ़ाई करता है, जिस्मों को पाक करता है, अंदरूनी शक्तियों की सुरक्षा और उसे हानिकारक चीज़ों से बचाने में रोज़ा एक निराला प्रभाव रखता है। इनके अलावा रोज़ा एक इबादत है और अल्लाह के हुक्म की आज्ञाकारिता है। और रोज़ा में जो मशक्कत व परेशानी उठानी पड़ती है वह सवाब की उम्मीद, अल्लाह का तक़्रूब (निकटता) और महान प्रतिदान की लालच में अल्लाह की संतुष्टि की प्राप्ति के मुक़ाबला में उसकी कोई हैसियत नहीं।

## ❁ हज्ज के लाभ और उसकी खूबियाँ

बैतुल्लाह (काबा गृह) के हज्ज की खूबियों पर गौर करो कि हज्ज मुस्लिम परिवारों को जमा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। लोग दुनिया के पूरब व पच्छिम से आकर एक मैदान में जमा हो जाते हैं, एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, सबके दिल एक होते हैं, और रूहें हज्ज में एक दूसरे से मानूस हो जाती हैं। मुसलमान दीनी मेल जोल और इस्लामी भाइचारागी की शक्ति को याद करते हैं। और हज्ज में नबियों तथा रसूलों के हालात और पाकबाज़ मुख़्तसों (सच्चरित्र शुद्ध हृदय वालों) की स्थानों को याद किया जाता है, जैसाकि अल्लाह तअ़ाला का फ़रमान है:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ﴾ [البقرة: 125]

“तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह मुक़रर कर लो।” (अल्-बकरा: 92५)

❁ और हज्ज नबियों के पेशवा (अगुवा) रसूलों के सरदार (मुहम्मद ﷺ) के हालात और हज्ज में उनके उन स्थानों को जो अज़ीम तरीन मक़ामात (महानतम स्थानें) हैं याद दिलाता है। और यह याद आला तरीन (उच्चतम) यादों में से है, क्योंकि वह अज़ीम तरीन रसूलों इब्राहीम ؑ व मुहम्मद ﷺ के हालात और अज़ीमुशान (विशाल) यादगारों और उनकी बेहतरीन इबादतों को याद दिलाता है। और जो उन यादगारों को याद करता है वह रसूलों पर ईमान लाने वाला, उनकी ताज़ीम करने वाला, उनके बुलंद मक़ामात से मुतअस्सिर (उच्च स्थानों से प्रभावित) और उनकी पैरवी करने वाला है, उनकी फ़ज़ीलतों तथा महत्ताओं को याद करने वाला है, अतः इससे बंदा का ईमान व यकीन और बढ़ जाता है।

❁ और हज्ज की खूबियों में से यह भी है कि उससे नफ़स साफ़ होता है, ख़र्च करने का आदी (अभ्यस्त) बनता है, मशक्कतें सहन करने की योग्यता पैदा होती है, जीनत तथा घमंड छोड़ने का अभ्यस्त होता है।

❁ और यह फ़ायदा भी है कि आदमी हज्ज में खुद को दूसरों के बराबर

अनुभव करता है, और वहाँ न कोई राजा है न गुलाम, न कोई मालदार है न फकीर, बल्कि सब बराबर हैं।

- ❁ और हज्ज के लाभों में से यह भी है कि हज्ज यात्रा में विभिन्न शहरों में आने जाने से वहाँ के निवासियों का हाल और उनके तौर तरीके का इल्म हासिल (ज्ञान अर्जन) होता है, और महबते वद्य (वद्य के नाज़िल होने का स्थान) और नबियों तथा रसूलों के स्थानों की ज़ियारत करता है।
- ❁ हज्ज की एक खूबी यह भी है कि वह उस अज़ीम इज्तिमाअ (महान सम्मेलन) को याद दिलाता है जो एक मैदान में संघटित होने वाला है जहाँ पुकारने वाला लोगों को सुनायेगा, और निगाह उन तक पहुँचेगी, और यह इज्तिमाअ हश्र के मैदान में होगा।

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: 6]

“जिस दिन लोग विश्व-जहान के प्रतिपालक (अल्लाह) के सामने (नंगे पाँव तथा नंगे बदन) खड़े होंगे।” (अल्-मुतफ़िफ़ीन: ६)

- ❁ और एक फ़ायदा यह भी है कि नफ़स बाल-बच्चे की जुदाई का ख़ूगर (अभिलाषी) हो जाए, क्योंकि उनसे जुदा होना तो हर हाल में है, लेकिन अगर उनसे अचानक जुदाई हो जाए तो जुदा होते समय बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है।
- ❁ और हज्ज का एक फ़ायदा यह भी है कि हाजी जब सफ़र का इरादा करता है तो सफ़र के दौरान की तमाम आवश्यकताओं के लिए तोशा (संबल) तैयार करता है। इसी तरह उसको आख़िरत के सफ़र के लिए भी तोशा इकट्ठा करना चाहिए, जो अति लंबा सफ़र है, जहाँ जाकर वापसी नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह अब्वलीन व आख़िरीन (पहले और बाद में आने वाले) सबको जमा कर दे। हाजी अपने हज्ज के सफ़र के दौरान अज़ूनबी (अपरिचित) शहरों में अपनी ज़रूरत का सामान पा सकता है, लेकिन आख़िरत के सफ़र

में जिन चीजों का वह मुहताज (ज़रूरतमंद) होगा उनमें से सिर्फ़ वही पायेगा जिसे उसने दुनिया में अपनी आख़िरत के लिए जमा किया होगा। अल्लाह का इर्शाद है:

﴿وَكَزَوْدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَى﴾ [البقرة: १९७]

“और अपने साथ सफ़र के खर्च ले लिया करो, सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है।” (अल्-बकरा: १९७)

✿ और हज्ज की एक खूबी यह भी है कि हाजी अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा करने) का अभ्यस्त हो जाता है, क्योंकि यह मुम्किन नहीं कि जिन चीजों की उसे हज्ज यात्रा में ज़रूरत है उनको अपने साथ ले जाए, अतः जितना साथ ले जा सका उसमें अल्लाह पर तवक्कुल करना ज़रूरी है, इस तरह जिन चीजों की उसे ज़रूरत है सब में अल्लाह पर तवक्कुल का वह अभ्यस्त हो जाता है।

✿ और हज्ज की एक अहम खूबी यह भी है कि जब हाजी इहराम बाँधता है, तो ज़िंदों का सिला हुआ लिबास उतार कर मुदों के लिबास के मुशाबिह (सदृश) लिबास पहनता है, इस तरह वह अपने आगे की मंज़िल की तैयारी करता है। इनके अलावा दूसरी बहुत सी खूबियाँ हैं जिनका शुमार करना कठिन है।

## ✿ अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धर्मयुद्ध) करने के लाभ और उसकी खूबियाँ

इसके बाद तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद की खूबियों पर गौर करो, जिसमें अल्लाह के दुश्मनों को हलाक किया जाता है, और अल्लाह से मुहब्बत करने वालों की मदद की जाती है, इस्लाम के कलिमा को बुलंद किया जाता है, और काफ़िर को कुफ़्र जैसी क़बीह (निकृष्ट) चीज़ छोड़ने की तर्गीब (उत्साह) दी जाती, और सबसे बेहतर चीज़ की तरफ़ आने की रग़्बत (उत्साह) दिलाई जाती है, और जिहाद में आदमी को जानवर के दर्जा से निकाला जाता है। काफ़िरों के बारे में अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [سورة فرقان: ६६]

“यह चौपाये जैसे हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं।” (अल्-फ़ुरक़ान: ४४)

✿ और जिहाद की फ़ज़ीलतों में यह भी है कि मुजाहिदीन (जिहाद करने वालों) को अबदी (अनंतकाल की) जिंदगी नसीब होती है, इस तरह कि अगर उसने क़त्ल किया तो अल्लाह के दीन को बुलंद किया, और अगर शहीद किया गया तो अपने आपको जिंदा कर लिया। अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوُّونَ﴾

[अल عمران: १६९]

“जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये हैं, उनको हरगिज़ (कदापि) मुर्दा न समझें, बल्कि वह जिंदा हैं, अपने रब के पास रोज़ियाँ (जीविका) दिए जाते हैं।” (अल इम्रान: १६६)

✿ जिहाद में मुजाहिद को बड़ा महान सवाब (प्रतिदान) मिलता है।

✿ और इससे मुसलमानों की संख्या बढ़ती है और काफ़िरों की संख्या घटती है।

✿ और इसकी सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि जिहाद अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी है। अल्लाह का इर्शाद है:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: १९३]

“उनसे लड़ो जब तक कि फ़ित्ना न मिट जाए।” (अल्-बक़रा: १६३)

और उसका इर्शाद है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: १२३]

“ऐ ईमान वाले! उन काफ़िरों से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं।” (अल्तौबा: १२३)

✿ और जिहाद की खूबियों में से एक बात यह भी है कि विजय व ग़लबा की सूरत में मुसलमान माले ग़नीमत (युद्धलब्ध संपद) पाते हैं, शुक्र (कृतज्ञता) करते हैं, और अपनी ताक़त व शक्ति का अनुभूति करते हैं, और अगर

काफिर उन पर ग़ालिब आ गए तो समझते हैं कि इसका सबब उनकी नाफ़रमानी और गुनाह है, और उनकी कमज़ोरी तथा आपसी तनाव है। ऐसी स्थिति में वह अल्लाह की ओर तौबा और गिर्या व ज़ारी (रोदन व विलाप) के साथ पनाह (आश्रय) ढूँढते हैं।

- ✿ और जिहाद की ख़ूबी यह भी है कि उसका छोड़ देना ज़िल्लत व रुस्वाई का कारण है, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دَلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». [أبو داود / البيوع ٥٦ (٣٤٦٢)، مسند أحمد (٤٢/٢) (صحيح)]

«जब तुम ईना क्रय-विक्रय (ईना कहते हैं किसी से सामान को एक मुद्दत के वादे पर बेचना और फिर पहले मूल्य से कम में दोबारा ख़रीद लेना) करने लगोगे, गायों बैलों के दुम थाम लोगे, खेती बाड़ी में मस्त व मगन रहने लगोगे और जिहाद को छोड़ दोगे, तो अल्लाह तअ़ाला तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसल्लत (आच्छादित) कर देगा, जिससे तुम उस समय तक नजात व छुटकारा न पा सकोगे जब तक अपने दीन की ओर लौट न आओगे।» (अबू दाऊद/अलबुयूअ़ ५६ {३४६२}, मुस्नद अहमद २/४२) (सहीह)

- ✿ और जिहाद की खूबियों में से निफ़ाक़ (कपटता) से बचना भी है, जैसाकि हदीस में है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْعَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». [مسلم / الإمامة ٤٧ (١٩١٠)، نسائي / الجهاد ٢ (٣٠٩٩)، مسند أحمد (٣٧٤/٢)]

अबू हुरैरा ऱा कहते हैं कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: «जो व्यक्ति मर गया, और उसने न जिहाद किया और न ही उसकी कभी नियत की, तो वह निफ़ाक़ की किस्मों (कपटता के भागों) में से एक किस्म पर मरा।» (मुस्लिम/अल्जिहाद ४७ {१९१०}, नसाई/अल्जिहाद २ {३०६६}, मुस्नद अहमद २/३७४)

और दूसरी हदीस में है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلْمَةٌ». [ترمذي / فضائل الجهاد ٢٦ (١٦٦٦) ابن ماجه / الجهاد ٥ (٢٧٦٣)، (ضعيف)]

अबू हुरैरा رضي الله عنه कहते हैं कि रसूल ﷺ ने फ़रमाया: «जो व्यक्ति जिहाद के किसी असर (चिंह) के बग़ैर अल्लाह तआला से मिले, तो वह इस हाल में अल्लाह से मिलेगा कि उसके अंदर खलल (कमी व ऐब) होगा।» (तिर्मिज़ी/फ़ज़ाइलुल जिहाद २६ {१६६६}, इब्नु माजा/अल्जिहाद ५ {२७६३}) (ज़ैफ़, इस हदीस के रावी इस्माईल बिन राफ़ेअ का हाफ़िज़ा कम्ज़ोर था)

और दूसरी हदीस में है:

«مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ» [المعجم الأوسط ٤/١٤٨، رقم الحديث: ٣٨٣٩] (صحيح الإسناد)

«जो कौम जिहाद को छोड़ देगी, तो अल्लाह उस पर अज़ाब को आम कर देगा।» (अल्मुअज़मुल औसत ४/१४८, हदीस नम्बर: ३८३६) (हदीस की सनद-सूत्र सहीह है)

✿ और जिहाद की खूबियों में यह भी है कि तक्लीफ़ और आराम की हालत तथा पसंद और नापसंद दोनों हालतों में अल्लाह के औलिया की बदंगी से लोगों को आज़ाद कराना है। और इसके अलावा दूसरे वह दलायेल (प्रमाण) हैं जो अल्लाह के कलिमा को बुलंद करने के लिए उसके रास्ते में जिहाद की खूबियों को बयान करते हैं।

## ✿ ख़रीद व फ़रोख़्त (कय-विकय) की खूबियाँ

इसके अलावा शरीअत ने मुआमलात (लेन देन) के विषय में जो हिदायात (निर्देशना) दी हैं उन पर भी ग़ौर करो। ख़रीद व फ़रोख़्त की खूबी यह है कि आदमी अपने खाने, पीने, पहनने और रहने की ज़रूरियात (आवश्यकताओं) को पा लेता है। और उसकी एक खूबी यह भी है कि वह उसके हुसूल (प्राप्ति) की दूरी को तय करता है, इस लिए कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को उसके मूल स्थान से प्राप्त करना चाहेगा तो उसे सफ़र और सवारी पर सवार होने, और ख़तरात

(जोखिम) बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जब वह खरीद व फ़रोख़्त द्वारा उस चीज़ को पा जायेगा तो ख़तरात से सूरक्षित हो जायेगा, और सफ़र की मशक्क़त उससे दूर हो जायेगी। ख़्याल करो कि ऊद (अगरू-एक खुशबूदार लकड़ी), कस्तूरी, मोटर गाड़ियाँ, मशीनें, कपड़े, इलायची और चीनी आदि के मूल स्थान कितने दूर हैं, तो बंदों पर अल्लाह की यह मेहरबानी है कि उसने अपने बाज़ बंदों को बाज़ के तावे (अधीन) कर दिया है, और कामिल शरीअत ने तमाम प्रकार के मुआमलात (आदान प्रदान) का हल (समाधान) पेश कर दिया है, जैसे किराया और कम्पनियों के यहाँ वह चीज़ें जिनके हराम होने पर दलील स्पष्ट है मसलन् जिन चीज़ों में नुक़सान, जुल्म या जिहालत आदि है। अतः जो व्यक्ति शर्ई लेन देन पर ग़ौर करेगा, तो वह देखेगा कि शरीअत के उमूर (विषय) दीन व दुनिया की भलाई के साथ जुड़े हुए हैं। और ग़ौर करने वाला गवाही देगा कि अल्लाह की रहमत और उसकी कृपा उसके बंदों पर वसीअ (प्रशस्त) है, और उसकी हिक्मत (रहस्य) ने उसके बंदों के लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ों को जायज़ कर दिया है, और केवल उसी चीज़ से रोका है जो नापाक और दीन, अक्ल (विवेक) व बदन या माल को नुक़सान पहुँचाने वाली है।

## ❁ किरायादारी के लाभ

किरायादारी का फ़ायदा तो यह है कि मामूली (सामान्य) और थोड़े से माल के बदले लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति रहने के लिए मकान और सवारी के लिए गाड़ी और हवाई जहाज़ नहीं रख सकता, और न आटा पीसने के लिए चक्की, और न अपने मालों के लिए तिजोरियाँ बना सकता है। और कई तरह की बेशुमार चीज़ें जिनके लिए किरायादारी का जवाज़ (वैधता) पैदा हुआ। और सुलह (संधि) की खूबियों का उल्लेख ज़रूरी नहीं, इसके बारे में अल्लाह तआला का यह फ़र्मान काफी है:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: १२८]

“सुलह ही में भलाई है।” (अन्निसा: १२८)



## ❁ वकालत (प्रतिनिधित्व) और कफ़ालत (ज़िम्मेदारी-जमानत) की खूबियाँ

इन दोनों में वह नेकियाँ हैं जो किसी पर पोशीदा नहीं, चाहे वह शरीअत का मानने वाला हो या न हो, और शरीअत को समझता हो या न समझता हो, हर हाल में उसे वकालत और कफ़ालत की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तआला ने लोगों को पैदा किया और उन्हें इरादा व संकल्प में मुख्तलिफ़ बनाया, न तो हर व्यक्ति खुद काम करना चाहता, और न हर व्यक्ति को मामले की हकीकत तक पहुँच होती है। अतः यह अल्लाह की कृपा है कि उसने अपनी मख्लूक (सृष्टि) में वकालत और कफ़ालत को जायज़ करार दिया। इस लिए मामले वाले लोग सारे ख़रीद व फ़रोख़्त का काम खुद से करें यह उनकी शान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नबी करीम ﷺ ने तवाजुअ (आवभगत) की सुन्नत की शिक्षा और उसके जवाज़ (वैधता) को बयान करने के लिए बाज़ कामों को खुद किया और बाज़ कामों को दूसरे के सुपुर्द किया। चुनांचे कुरबानियाँ खुद भी कीं हैं, और अली ؑ को भी अपने कुरबानी के जानवर को ज़बह करने के लिए सौंपा।


❁ और कफ़ालत की खूबी यह है कि उसमें नर्मी और प्यार और भाईचारी के अधिकारों की रिआयत की गई है, एक की ज़िम्मेदारी दूसरे के हवाला (हस्तांतर) की जाती है, जिससे ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले को खुशी होती है, और ज़िम्मेदारी देने वाले का दिल वुसअत (कुशादगी) के सबब पुर सुकून (शांतिमय) होता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ﴾ [آل عمران: ६६]

“तू उनके पास न था जबकि वह अपने क़लम डाल रहे थे कि मर्यम को उनमें से कौन पालेगा।” (सूरह आलि-इम्रान: ४४)

यहाँ तक कि उनका कफ़ील (ज़िम्मेदार) ज़करिया ؑ को बनाया, जैसाकि अल्लाह का इर्शाद है:


﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ३७]



“और ज़करिया  ने उनकी कफ़ालत की।” (आल इम्रान: ३७)

और जब तुम वकालत और कफ़ालत की खूबियाँ जान गए, तो तुमको यह अनुभव होगा कि हवाला (हस्तांतर) की खूबियाँ स्पष्ट हैं। हवाला में वकालत और कफ़ालत दोनों शामिल हैं, अधिकंतु (मज़ीद) यह भी है कि ज़रूरतमंद की ज़िम्मेदारी लंबी परेशानी से ख़त्म हो जाती है। जब तुमने उसका हवाला कबूल कर लिया, तो अपने भाई की ज़िम्मेदारी पूरी की, और उसके दिल में खुशी पैदा कर दी, और एक मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करने का क्या अज़्र व सवाब है वह तुम पर मख़्फ़ी (गोपन) नहीं।

## शुफ़्आ (पहले ख़रीदने का अधिकार Pre-emption) की खूबियाँ

शुफ़्आ की खूबी यह है कि पड़ोसी कभी कभार इस बेचे गए हिस्सा का ज़रूरतमंद होता है, इस तरह कि घर तंग हो और वह उसे कुशादा करना चाहता हो, या वह मुश्तरक (संयुक्त) ज़मीन उसके खेत के करीब हो और खेती वाले को उस ज़मीन की आवश्यकता हो।

 और शुफ़्आ की एक खूबी यह भी है कि उससे पड़ोसी और शरीक (पार्टनर) के अधिकार की अज़मत का पता चलता है, इस तरह कि दूसरों के मुकाबला में पड़ोसी को अपने पड़ोस की जगह ख़रीदने का पहला अधिकार हासिल है। अल्बत्ता वह अपना अधिकार ख़रीदने से इंकार कर दे तो और बात है।

 एक फ़ायदा इसका यह भी है कि पड़ोसी के नुक़सान को शुफ़्आ के हक़ के ज़रीया दूर कर दिया जाता है, और रसूल  का फ़र्मान है:

«لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ». [ابن ماجه / الأحكام ۱۷ (۲۳۴۱). مسند أحمد (۱/۲۱۲) (صحيح)]

«किसी को नुक़सान पहुँचाना जायज़ नहीं, न प्राथमिक रूप से न मुकाबला करते हुए।» (इब्नु माजा/अल्अहकाम १७ हदीस {२३४१}, मुस्नद अहमद: १/३१३) (सहीह)

अर्थात् इस्लाम में यह जायज़ नहीं कि कोई दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाये, और

न दूसरा उसको तकलीफ़ पहुँचाये। और इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता है कि पड़ोस की वजह से मुस्तक़िल तौर पर (स्वतंत्र रूप से) किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के नुक़सान को दूर करना निहायत (अत्यंत) अच्छी बात है, मसलन (उदाहरण स्वरूप): आग जलाने की तकलीफ़, दीवार ऊँची करने की तकलीफ़, धुआँ और गर्द व गुबार फैलाने की तकलीफ़, और इन सब से बढ़ कर टेलीवीज़न और रेडियो की आवाज़ की तकलीफ़, और ऐसी चीज़ों का पैदा करना जिससे पड़ोसी की जायदाद को नुक़सान पहुँचे इत्यादि इत्यादि।

### ❁ अमानत की अदायेगी की खूबी

इसकी खूबी स्पष्ट है कि इसमें अल्लाह के बंदों के मालों की हिफ़ाज़त व सुरक्षा के लिए उनकी मदद करना, और अमानत की अदायेगी अमलन और शर्अन निहायत मुअज़्ज़ज़ ख़स्तत (वास्तवता तथा शरीअत की दृष्टिकोण से अत्यंत आदृत स्वभाव) है।

- ❁ और इसकी एक खूबी यह भी है कि इसके द्वारा अल्लाह के बंदों के साथ नेकी की जाती है, और नेकी करने वालों को अल्लाह पसंद फ़रमाता है।
- ❁ और एक फ़ायदा यह भी है कि इससे मुसलमानों के बीच उत्फ़त व भाईचार्गी (मुहब्बत व भ्रातृत्व) पैदा होती है और एक दूसरे की मुहब्बत का माध्यम है।

### ❁ बीवी के साथ अच्छी तरह गुज़र बसर करने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने शौहर को बीवी के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) से मना किया है, और शौहर को हुक्म दिया है कि वह बीवी की अच्छाइयों और बुराइयों के दरूमियान मुवाज़ना (तुलना) करे, और अगर दोनों बराबर हूँ तो बुराइयों को नज़र अंदाज़ (उपेक्षा) कर दे, जबकि उसकी खूबियाँ उसमें मौजूद हों, क्योंकि बुराइयाँ केवल औरत की कमज़ोरी के कारण से होती हैं। रसूलुल्लाह ﷺ का इरश़ाद है:

«لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرُهُ». [مسلم / النكاح

۱۸ (۱۴۶۹)]

«कोई मुमिन मर्द किसी मुमिन औरत से बुग़ज़ (शत्रुता) न रखे, अगर उसकी एक आदत नापसंद होगी तो दूसरी आदत पसंद होगी।» या आप ﷺ ने फ़रमाया: «उसके सिवा दूसरी आदत पसंद होगी।» (मुस्लिम: निकाह १८, हदीस नम्बर: १४६६)





## तरिका (पैतृक संपत्ति) की खूबियाँ

फ़राइज़ तथा माल का वारिसों में तक्सीम करना तो अल्लाह तआला ने उसे खुद ही मुकर्रर फ़रमाया है, वारिसों के कुर्ब और बोद (निकटता और दूरी) और नफ़ा को जानते हुए, और इस एतेबार से कि बंदे के साथ नेकी का कौनसा तरीका बेहतर है। और फ़राइज़ की ऐसी बेहतर तर्तीब फ़रमाई है कि अक्ले सहीह (शुद्ध विवेक) इसके अच्छे होने की गवाही देती है। अगर जायदाद की तक्सीम लोगों की राय, उनकी इच्छाओं और इरादों पर छोड़ दी जाती तो इसकी वजह से बड़ा बिगाड़, इख़्तिलाफ़, बद नज़्मी (दुर्व्यवस्था) और बद इत्तिखाबी (कुनिर्वाचन) पैदा होती।

❁ और इसकी खूबियों में से यह भी है कि इससे हकीकी सबब को नसब के साथ मिला दिया है, और यह सबब आपसी निकाह और वला है। और जब अल्लाह तआला ने अक्दे निकाह (शादी के बंधन) को मुहब्बत व उल्फ़त और लोगों के दर्मियान तअल्लुकात (संबंधों) का ज़रीया बनाया है, तो यह कोई अच्छी बात नहीं कि पति-पत्नी में से जब किसी की मौत हो तो ज़िंदा रहने वाले को मरने वाले की जुदाई का सद्मा (दुःख) उठाना पड़े, और उसे जुदा होने वाले की कोई चीज़ न मिले। नीज़ (उपरांत) इस विरासत में अल्लाह ने शौहर को औरत के मुकाबिले में दोगुना हिस्सा दिया है।

❁ और इसकी खूबियों में से यह भी है कि उसने अलग अलग दीन हो जाने की स्थिति में विरासत नहीं दी है, अतः मुसलमान की मौत पर उसका काफ़िर रिश्तादार चाहे वह कितना ही करीबी क्यों न हो मुसलमान का वारिस नहीं होगा, क्योंकि अगरचे वह रिश्ता में करीब है लेकिन दीन में उससे बहुत दूर है। और

इस लिए भी कि काफिर मुर्दा के बराबर है, और मुर्दा दूसरे मुर्दे का वारिस नहीं हो सकता। काफिर के बारे में अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: १२२]

“ऐसा व्यक्ति जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा कर दिया, और हमने उसको ऐसा नूर (ज्योति) दे दिया कि वह उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है।” (अलअनुआम: १२२)

दूसरी जगह इर्शाद फरमाया:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الروم: १९]

“वही ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है।” (अर्रूम: १९)

रहा काफिर तो काफिर का वारिस हो सकता है, क्योंकि उनका हाल व माल दोनों बराबर व समान है।

## ❁ हिबा (दान-बख्शिग) की खूबियाँ

किसी चीज़ का हिबा करना मुस्तहब (बेहतर) है, इस शर्त पर कि उससे अल्लाह की रिज़ा (संतुष्टि) मक्सूद हो, और इसका उसूल इज़्माअ है, जैसाकि अल्लाह का इर्शाद है:

﴿فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ६]

“अगर औरतें खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश हो कर खा लो।” (अन्निसा: ४)

और फरमाया:

﴿وَأَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: १७७]

“माल से मुहब्बत करने के बावजूद माल दे दे।” (अल्बकरा: १७७)

और अल्लाह तआला निहायत करीम (उदार), बड़ा सखी और बहुत प्रदान करने वाला है।

## ❁ हृदया व तोहफ़ा (उपहार) के फ़ायदे

और हृदया की खूबियों में से यह है कि वह आपस में मुहब्बत और दोस्ती का ज़रीया है। जैसाकि हदीस में है:

«تَهَادُوا تَحَابُّوا». [موطأ إمام مالك / حسن الخلق ٤ (١٦) (صحيح)]

«आपस में हृदया दो एक दूसरे को महबूब (प्यारे) बन जाओगे।» (मुवत्ता इमाम मालिक: हुस्नुल ख़ुलुक ४, हदीस नम्बर १६) (सहीह)

और इसकी एक खूबी यह भी है कि वह कीना कपट को दूर करता है। हदीस में है:

«تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ». [مختصر مسند البزار ج ١، ح ٩٣١، مجمع البحرين في زوائد المعجمين (٢٠٥١) (ضعيف الإسناد)]

«एक दूसरे को हृदया दो, क्योंकि हृदया कीना कपट को दूर करता है।» (मुख्तसर मुस्नदुल बज़ज़ार: खंड १, हदीस नम्बर: ६३१, मज़मउल बह्रैन फ़ी ज़वाइदिल मोजमैन, हदीस नम्बर: २०५१) (इस हदीस की सनद सूत्र ज़ईफ़ है)

और नबी अक़्रम ﷺ ने नजाशी को कपड़ों का जोड़ा और मिशक का डिव्या हृदया में पेश की। और रसूलुल्लाह ﷺ खुद भी हृदया क़बूल फ़रमाते और उसका बदला देते थे।

❁ और हृदया की एक खूबी यह भी है कि वह तअल्लुकात को मज़बूत करता है, और जब तअल्लुक़ मज़बूत हो जाता है तो उम्मत के क़दम जम जाते हैं, अतः उम्मत के लोगों के बीच बेहतरीन तअल्लुक़ उसकी कामयाबी का भेद है।

❁ और हृदया की एक खूबी यह भी है कि उससे हृदया देने वालों के दरूमियान इतिमाद (आस्था-भरोसा) बढ़ता है। और इनके अलावा भी हृदया के बहुत सी खूबियाँ हैं।

## शादी की खूबियाँ

शादी करना मुस्तहब है। और उसकी खूबियाँ बहुत हैं:

- अहम खूबी यह है कि उससे शरमगाह की हिफाज़त होती है, और उससे बीवी की भी हिफाज़त होती है, उसके हुक्क (प्राप्य-अधिकार) अदा होते हैं, और शादी तमाम रसूलों का तरीका और सुन्नत रही है।
- उसकी एक खूबी यह है कि उसके ज़रीया उम्मत बढ़ती है, और नस्ल में इज़ाफ़ा (वृद्धि) होता है, और उसके ज़रीया नबी अक़रम ﷺ का फ़ख़र (गौरव) पूरा होता है, और उससे मर्द की घरेलु ज़रूरत जैसे खाना पकाना वगैरा पूरी होती है, और उससे घर और औलाद की निग्रानी भी होती है, और शादी के ज़रीया मर्द बीवी से सुकून तथा दिली इत्मीनान (शांति) पाता है, और उससे उन्सियत (अनुराग) हासिल करता है, और उसके साथ जिंदगी बसर करता है, और दूसरी बहुत सी मस्तहतें (भलाइयाँ) पूरी होती हैं।

## तलाक़ की अहमियत तथा विशेषता

तलाक़ की खूबी यह है कि अल्लाह तआला उसका अधिकार केवल शौहर को प्रदान किया है, और यह तीन तलाकों के बाद औरत क़तई तौर पर (बिल्कुल) हराम हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति तीन बार तलाक़ देता है वह अपनी बेहतरी बीवी से जुदाई ही में पाता है, और शरीअत ने तीन बार तलाक़ पाई हुई औरत को हलाल करने के लिए उसका दूसरे से निकाह होना और उसके साथ हम्बिस्तरी (संभोग) करना ज़रूरी करार दिया है, ताकि इस कठिन शर्त की वजह से शौहर अपनी तीन बार तलाक़ दी हुई औरत को दोबारा न लौटा सके, और उसकी जुदाई ही में अपनी बेहतरी समझे।

और उसकी एक खूबी यह भी है कि शरीअत ने तलाक़ के ज़रीया बीवी को हमेशा के लिए हराम नहीं कर दिया है कि उसको दोबारा निकाह में लाना



नामुम्किन (असंभव) हो, क्योंकि बसा औकात (कभी कभार) मर्द मुतल्लका (तलाक़ प्राप्ता) बीवी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी खातिर हलाक हो जाता है। अतः शरीअत ने उसको दोबारा हासिल करने के लिए यह तरीका रखा है कि औरत दूसरे मर्द से शादी करके उसकी लज़ज़त हासिल कर ले (दूसरा मर्द भी उससे लज़ज़त हासिल कर ले)।

अल्बत्ता हलाला के ज़रीया औरत को हासिल करना जायज़ नहीं, क्योंकि हदीस में है:

«لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» [أبو داود/النكاح ١٦ (٢٠٧٦)، ترمذی/النكاح ٢٧ (١١١٩)، ابن

ماجه/النكاح ٢٣ (١٩٢٥)، مسند أحمد (١/١٠٧، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨، ٨٧) (صحيح)

अली رضي الله عنه कहते हैं कि नबी अक़रम ﷺ ने फ़रमया: «हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है।» (अबू दाऊद: अन्निकाह १६, हदीस नम्बर: २०७६, तिरमिज़ी: अन्निकाह २७, हदीस नम्बर: १११६, इब्नु माजा: अन्निकाह ३३, हदीस नम्बर: १६३५, मुस्नद अहमद: १/८७, १०७, १२१, १५०, १५८) (सहीह)

❁ और तलाक़ की खूबी और सुन्नत यह है कि वह उस तोहूर (पवित्रता के दिनों) में दी जाती है जिसमें बीवी से जिमाअ (संभोग) न किया गया हो, इस लिए कि अगर संभोग के बाद तलाक़ दी जाए तो मुतल्लका (तलाक़ प्राप्ता) की तरफ़ तब्ज़ुन (स्वभावत) मैलान कम हो जायेगा, इस तरह मर्द मामूली सी बात और थोड़ी सी तकलीफ़ पर भी बीवी से जुदाई पर तैयार हो जायेगा। आदमी जब किसी चीज़ से आसूदा (तृप्त) हो जाता है तो वह चीज़ उसे मामूली मालूम होती है, और वह चीज़ उसकी निगाह से गिर जाती है, और जब उसका भूका होता है तो उसकी क़दर दिल में बढ़ जाती है, तो तलाक़ आसूदगी की हालत में नहीं होती। और बसा औकात आदमी तलाक़ पर नादिम (शर्मिंदा) होकर तलाक़ तोड़ना चाहता है।

❁ तलाक़ का सुन्नत तरीका यह है कि आदमी अपनी बीवी को उस तोहूर (पवित्रता के दिनों) में तलाक़ दे जिसमें उससे हम्बिस्तरी न की हो, क्योंकि मर्द की पूर्ण चाहत और बीवी की तरफ़ पूरे मैलान का यह समय होता है,

बजाहिर (साधारणतः) ऐसी हालत में तलाक़ जैसे फ़ेल (कार्य) का इक़दाम (पहल) किसी ख़ास ज़रूरत ही के तहत किया जा सकता है, अतः ऐसी तलाक़ की इजाज़त दी गई है।

❁ तलाक़ की एक ख़ूबी यह भी है कि शरीअत ने हँसी मज़ाक़ में दी हुई तलाक़ को भी सच मुच नाफ़िज़ (लागू) कर दिया है। रसूलुल्लाह ﷺ का फ़र्मान है:

«ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» . [أبو داود / النكاح ٩ (٢١٩٤)]

ترمذی / الطلاق ٩ (١١٨٤) . ابن ماجه / الطلاق ١٣ (٢٠٣٩) (حسن)

«तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें चाहे संजीदगी (गंभीरता) से किया जाए या हँसी मज़ाक़ में किया जाए, उनका एतिबार (वह विवेचित) होगा, वह यह हैं: निकाह, तलाक़ और रज़अत (तलाक़ के बाद बीवी को वापस करना)।» (अबू दाऊद: निकाह ९, हदीस नम्बर: २१६४, तिरमिज़ी: तलाक़ ९, हदीस नम्बर: ११८४, इब्नु माजा: तलाक़ १३, हदीस नम्बर: २०३६) (हसन)

जब आदमी को मालूम हो जाएगा कि यह चीज़ें चाहे मज़ाक़ ही से सही मुँह से बोलने ही से सच मुच वाक़ेअ (घटित) हो जायेंगी, तो वह अगर समझदार होगा तो इनके कहने से इन्शाअल्लाह बाज़ (विरत) रहेगा।

## ❁ क़िसास (प्रतिहिंसा) की अहमियत व फ़ायदे

क़िसास और सज़ाएं फ़र्ज़ किये जाने की ख़ूबी यह है कि इससे बागी नुफूस (सर्कश आत्माएं) और कठोर दिल जो दया व कृपा से ख़ाली हैं बुराई और ज़राएम (अपराधों) से बाज़ आ जाएं।

और इसका फ़ायदा यह भी है कि सर्कश जमाअतों (विद्रोही दलों) को इसका सबक़ सिखाया जाता है। अतः एक क़ातिल (हत्याकारी) के क़त्ल और एक चोर के हाथ काटे जाने का फ़ैसला खूनख़राबा से बचाता है। अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: १७९]

“और तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है।” (अल्बकरा: १७९)

और चोर के हाथ काटने से माल की हिफाज़त होती है, लोग निडर और मुत्तमइन होकर जिंदगी बसर करते हैं। अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ३८]

“चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका जो उन्होंने किया, अज़ाब अल्लाह की तरफ़ से, और अल्लाह तआला ताक़त व हिक्मत वाला है।” (अल्माइदा: ३८)

ज़िना और उसके पेश ख़ीमों (भूमिके) जैसे अज़नबी (अपरिचित) औरत की तरफ़ देखना, उसके साथ तन्हाई (एकांत) में बैठना, बोसा लेना और छूना आदि को हराम करार दिया है, और खुले आम ज़ानी के रज़्म (व्यभिचारी के संगसार) और लूती के क़त्ल का हुक्म दिया है, और ग़ैर शादी शुदा ज़ानी (अविवाहित व्यभिचारी) को सौ कोड़े मारने और जला वतन (देश निकाला) करने का हुक्म दिया है। यह सारे अहकामात केवल इस लिए हैं कि नसब और आबरू (कुल और इज़ज़त) की हिफाज़त हो, और अख़्लाक़ सुरक्षित रहें, और उम्मत तबाही व बर्बादी से बच जाए।

## ❁ शराब की हुर्मत (मनाही) और उसकी हिक्मत

शरीअत ने शराब को हराम करार दिया, और उसे तमाम बुराइयों की जड़ बताया, और उसके पीने वाले को कोड़े मारने का हुक्म दिया, क्योंकि उसने निहायत तुच्छ तथा नीच (घिनावना) काम का इर्तिक़ाब किया है। यह सब सिर्फ़ इस लिए कि अक्ल दुरुस्त (सही) रहे, और माल बर्बादी से बचा रहे, और शरफ़ (प्रतिष्ठा) तथा अख़्लाक़ साफ़ सुथरा बाक़ी रहे।

ऐ अल्लाह! हमारे दिलों को अपनी मुहब्बत व इताअत पर चला, और हमें दुनिया व आख़िरत की जिंदगी में अपने मज़बूत क़ौल (सुदुढ़ बात) पर साबित रख, और अपने ज़िक्र व शुक्र की हमें तौफ़ीक़ प्रदान कर, और दुनिया व आख़िरत में हमें भलाई प्रदान कर, जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा, ऐ दया

करने वालों में सबसे ज़्यादा दया करने वाला! अपनी खास रहमत से हमें और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बख़्श दे।

अल्लाह तआला मुहम्मद, उनके आल व औलाद तथा उनके सहाबियों पर दुख़द व सलाम नाज़िल करे।





## इस्लाम की खूबियाँ एक नज़र में सलाह-मश्वरा का हुकम

❁ इस्लाम की खूबियों में से एक यह भी है कि उसने सलाह-मश्वरा लेने, और जब वह दुरुस्त (दोषरहित) तथा अक्ल व मन्तिक (ज्ञान व युक्ति) और तजुर्बे के अनुसार हो तो उसको कबूल करने की तर्गीब (उत्साह) दी है। अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: २८]

“और उनका हर काम आपस में सलाह-मश्वरे से होता है।” (अशूरा: ३८)

### ❁ तक्वा-परहेज़गारी (संयम) अपनाते की तर्गीब (उत्साह प्रदान)

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि (इस्लाम की शिक्षा के अनुसार) अल्लाह के नजूदीक सबसे बेहतर आदमी वह है जो नेकी और परहेज़गारी में सबसे बेहतर हो। जैसाकि अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَمُّكُمْ﴾ [الحجرات: १३]

“अल्लाह के नजूदीक तुम में से बाइज़्ज़त वह है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है।” (अलहुजुरात: १३)

❁ और इस्लाम की खूबियों में यह है कि उसने गुलामों को आज़ाद करने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की तर्गीब दी है।

❁ और इस्लाम की खूबियों में से है पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, मेहमान की खातिर करना और यतीम व मिसकीन की देख-रेख करना।

## ❁ बाहमी (पारस्परिक) मुहब्बत करने की तरगीब

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह लोगों को बाहमी (पारस्परिक) प्यार व मुहब्बत, दिल की सफ़ाई और मदद करने की ताकीद करता है। रसूलुल्लाह ﷺ का इर्शाद है:

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَأَثْبَانٍ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». [بخاري / الصلاة ٨٨ (٤٨١)، مسلم / البر والصلة

[٢٥٨٥] ١٧

«एक मुमिन दूसरे मुमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को मजबूत करता है।» (बुखारी: अस्सलात ८८, हदीस नम्बर: ४८१, मुस्लिम: अल्बिर् वसिसला १७, हदीस नम्बर: २५८५)

❁ इस्लाम की अहम खूबियों में से यह है कि इख़िलाफ़, कराहियत, फ़िर्का बंदी की मज़्मत (भिन्नता, नफ़ूरत, साम्प्रदायिकता की निंदा) करता है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: १०३]

“और अल्लाह तआला की रस्सी को सब मिल कर मजबूत थाम लो, और फूट न डालो।” (सूरह आलि इम्रान: १०३)

## ❁ चुगलखोरी तथा जुल्म की मज़्मत (निंदा)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह चुगली, ग़ीबत, हसद, ऐब जूई (दोष तलाश करना), झूट व ख़ियानत से रोकता है। इस विषय से मुतअल्लिक (संबंधी) आयतें और हदीसें बहुत हैं जिन्हें तलाश करने पर पा जाओगे।

और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह जुल्म से रोकता है, और दूर व नज़दीक वालों के साथ इंसाफ़ (न्याय) करने का हुक्म देता है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ

قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا﴾ [المائدة: ४]

“ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के लिए हक़ (सत्य) पर कायम हो जाओ, सच्चाई और इंसाफ़ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें न्याय के खिलाफ़ पर आमादा न करे, न्याय किया करो।” (अल्माइदा: ८)

और फ़रमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ९०]

“अल्लाह तअ़ाला न्याय व भलाई करने का हुक्म देता है।” (अन्नहल: ६०)

### क्षमा (माफ़) करने की खूबियाँ

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि ज़्यादाती करने वाले को माफ़ करने का हुक्म देता है। अल्लाह तअ़ाला का फ़रमान है:

﴿وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا﴾ [النور: २२]

“चाहिए कि माफ़ कर दें और क्षमा फ़रमायें।” (अन्नूर: २२)

और फ़रमाया:

﴿أَدْفَعِ بِالْيَدِ الَّتِي أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ९६]

“बुराई को इस तरह दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो।” (अलमुमिनून: ६६)

और फ़रमाया:

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: २३७]

“तुम्हारा माफ़ कर देना परहेज़गारी (संयम) से बहुत करीब है।” (अल्बकरा: २३७)

❁ इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह दो भाईओं के दरमियान सुलह (मेल) करने की दावत देता है और जुदाई से मना करता है। अल्लाह तअ़ाला का इरशाद है:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: १०]

“सारे मुसलमान भाई भाई हैं, पस अपने दो भाईओं में मिलाप करा दिया करो।” (अल्हुजुरात: १०)

## ❁ नाता तोड़ने की मज़म्मत (संबंध विच्छेद की निंदा)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह दूसरे का बाईकाट करने, उससे मुँह फेरने, कीना कपट और हसद करने से रोकता है। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: «لَا تَقَاطِعُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا». [بخاري/الأدب ٥٧ (٦٠٦٥)، مسلم/البر والصلة ٧ (٢٥٥٩)]

«आपस में नाता न तोड़ो, एक दूसरे से मुँह न फेरो, आपस में दुश्मनी व बुग़्ज न रखो और एक दूसरे से हसद न करो।» (बुखारी: अल्अदब ५७, हदीस नम्बर: ६०६५, मुस्लिम: अल्बिर् वसिसला ७, हदीस नम्बर: २५६६)

## ❁ मज़ाक उड़ाने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह लोगों का मज़ाक उड़ाने और उनके एबों को ज़िक्क करने से मना करता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١]

“ऐ ईमान वाले! मर्द दूसरे मर्दों का मज़ाक न उड़ाये।” (अल्हुजुरात: ११)

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह इस बात से रोकता है कि कोई अपने भाई के लेन देन पर अपना लेन देन करे, और अपने भाई के निकाह के पैगाम पर अपना पैगाम भेजे, यह उसी सूरत में जायज़ है जब इसकी इजाज़त दी जाए, या मामला को ख़त्म कर दिया जाए, वरना उससे दुश्मनी तथा जुदाई पैदा होगी।

## ❁ सलाम करने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने यह मशरूअ (शरीअत सम्मत) किया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे, चाहे उसको पहचानता हो या न पहचानता हो। और उसने हुक्म दिया है कि सलाम का जवाब उससे बेहतर दिया जाए या उन्ही अल्फ़ाज़ (शब्दों) में लौटाया जाए। अल्लाह तआला का इरशाद है:



﴿وَإِذَا حُجِّمْتُمْ بِنَجْوَتِكُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ८६]

“और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फ़ाज़ (शब्दों) को लौटा दो।” (अन्निसा: ८६)

☀ अफ़वाह की तह्कीक (लोकोक्ति की जाँच) का हुकम

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने हुकम दिया कि सुनी हुई बात की तह्कीक करें। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ६]

“ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हें कोई फ़ासिक (पापाचार) ख़बर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तह्कीक कर लिया करो, ऐसा न हो कि नादानी (अज्ञता) में किसी कौम को तक्लीफ़ पहुँचा दो, फिर अपने किये पर शर्मिंदगी (पछतावा) उठाओ।” (अल्हजुरात: ६)

और फ़रमाया:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ३६]

“जिस बात की तुम्हें ख़बर न हो उसके पीछे मत पड़ो।” (अल्इसरा: ३६)

☀ **खड़े पानी में पेशाब करने और मुमिन को तक्लीफ़ पहुँचाने की मुमानअत (मनाही)**

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने खड़े पानी में पेशाब करने से मना किया, और यह इस लिए कि अल्लाह के हुकम से बीमारियों और गंदगियों से बचा जाए, और सेहत (स्वास्थ्य) का इह्तिमाम (यत्न) किया जाए।

☀ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने ईमान वालों को नुक़सान और तक्लीफ़ पहुँचाने से मना किया है। अल्लाह का इर्शाद है:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ५८]

“और जो लोग मुमिन मर्दों और औरतों को तक्लीफ़ पहुँचायें बग़ैर किसी जुर्म (अपराध) के जो उनसे सरज़द (घटित) हुआ हो, वह (बड़ी ही) बुहतान (अपवाद) और सरीह (स्पष्ट) गुनाह का बोझ उठाते हैं।” (अल्अहज़ाब: ५८)

और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبُقْلَةِ الثُّومِ» وَقَالَ مَرَّةً: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَاتِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [مسلم/الصلاة 17 (564)]

«जो व्यक्ति इस सब्ज़ी यानी लहसुन को खाए, (और कभी यूँ फ़रमाया:) जो व्यक्ति प्याज़, लहसुन और गंदना खाए, वह हमारी मस्जिद के करीब न आए, क्योंकि फ़रिश्ते उस चीज़ से तक्लीफ़ महसूस करते हैं जिनसे आदम संतान तक्लीफ़ महसूस करते हैं।» (मुस्लिम: अस्सलात 99, हदीस नम्बर: ५६४)

## ❁ दायें हाथ से खाने पीने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने बायें हाथ से खाने और पीने से मना किया है, इस लिए कि बायाँ हाथ गंदगी दूर करने के लिए है, और इस लिए भी कि शैतान बायें हाथ से खाता है। जैसाकि नबी अक़रम ﷺ ने फ़रमाया: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». [مسلم/الأشربة 13 (2020)]

«तुम में से कोई जब खाए तो दायें हाथ से खाए और पिए तो दायें हाथ से पिए, इस लिए कि शैतान बायें हाथ से खाता है और बायें हाथ से पीता है।» (मुस्लिम: अल्अश्रिबा 93, हदीस नम्बर: २०२०)

## ❁ जनाज़ा के पीछे जाने और छींकने वाले का जवाब देने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने जनाज़ा के पीछे जाने का हुक्म दिया, इस लिए कि इसमें मुर्दा के लिए दुआ है, उस पर रहमत व प्यार का

इज़हार (प्रकटन) है, जनाज़ा की नमाज़ की अदाएंगी है और उसके मुमिन घरानों की तसल्ली (सांत्वना) है।

❁ इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने छींकने वाले का जवाब देने और क़सम (शपथ) पूरी करने की तालीम (शिक्षा) दी है, इस लिए कि उसमें मुहब्बत और भाईचार्गी (भ्रातृत्व) है, और अपने भाई को रहमत की दुआ देनी है। और क़सम पूरी करके अपने दिल को चैन दिलाना और फ़रमाइश (मांग) का पूरा करना है, इस शर्त पर कि उसमें शरीअत के खिलाफ़ कोई बात न हो।

### ❁ दावत (निमंत्रण) क़बूल करने की अहमियत

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि मुसलमान की दावत को क़बूल किया जाए, और ख़ास कर शादी की दावत, जब उसमें शरीअत के खिलाफ़ कोई काम न हो, और उसमें मुरुब्बत व इंसानियत (मानवता) के खिलाफ़ काम न हो, जैसाकि आज कल कुछ लोग खेल तमाशा और मुन्करात (शरीअत के खिलाफ़ काम) के वक़्त करते हैं, क्योंकि ऐसी मज़लिसों में हाज़री फ़ासिकों और फ़ाजिरों (बैठकों में उपस्थिति पापाचारों) की हिम्मत अफ़ज़ाई (उत्साह प्रदान) करना है, और गुनाहों को रिवाज देने में उनकी मदद करनी है, और बुरी बातों की तरफ़ से लापरवाही का इज़हार (प्रकटन) है। हाँ अगर मुन्कर से रोकना मक़सूद (उद्देश्य) हो तो ऐसी महफ़िलों में हाज़िर होना ऐब की बात नहीं।

❁ इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने मुसलमान पर दूसरे मुसलमान को ख़ौफ़ज़दा (आतंकित) करना हराम किया है, चाहे भयानक ख़ब्रों के ज़रीया हो या हथियार दिखा कर।

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने मर्दों को औरतों की और औरतों को मर्दों की मुशाबहत (अनुरूपता) अख़्तियार करने से मना किया है, इस लिए कि इसमें औरतों के साथ लिबास, चाल ढाल और बात चीत में मुशाबहत अख़्तियार करके मुखन्नस (हिजड़ा) बन जाने की बुराई है, जैसाकि आज कल हिप्पियों और दाढ़ी मुँडों और मग़रूरिन (घमंडीयों) में पाई जाती है।

## ❁ शक (संदेह) की जगहों से दूर रहने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने तुहमत (आरोप) और शक की जगहों से बचने का हुक्म दिया है, ताकि लोगों की जुबान और बद गुमानी (कुधारना) से आदमी महफूज़ रह सके। हदीस में आया है:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْبٍ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَرْوَرَهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيْبٍ»، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا». [مسلم/السلام ٩ (٢١٧٥)]

सफ़िया बिनते हुयय रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं: नबी अक़रम ﷺ इतिक़ाफ़ में थे, एक रात मैं आपसे मिलने आई, मैंने आपसे बात चीत की, फिर वापस लौटने के लिए उठी तो मेरे साथ आप भी मुझे पहुँचाने को खड़े हुए, मेरी रिहायश (आवास) उस समय उसामा बिन ज़ैद के मकान में थी, रास्ते में मुझे दो अंसारी मिले, उन्होंने नबी अक़रम ﷺ को देखा तो ज़रा तेज़ चलने लगे, नबी अक़रम ﷺ ने फ़रमाया: «आहिस्ता आहिस्ता चलो, यह सफ़िया बिनते हुयय हैं।» उन्होंने कहा: सुब्हानल्लाह! ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ ने फ़रमाया: «शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, मुझे डर हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कोई बुरी बात (या बुरी चीज़) न डाल दे।» (मुस्लिम: अस्सलाम ९, हदीस नम्बर: २१७५)

गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह ﷺ लोगों में सबसे बुजुर्ग व पाकीज़ा (निर्मल) थे, फिर भी आप ﷺ ने तुहमत व शक को अपनी तरफ़ से दूर किया।

उमर رضي الله عنه का फ़रमान है कि जो शख्स खुद को तुहमत की जगह रखेगा, अगर उसके साथ कोई बद गुमानी करे तो खुद अपने ही को मलामत करे। उमर رضي الله عنه एक शख्स के पास से गुज़रे जो रास्ता में अपनी बीवी से बात कर रहा था, तो उस पर चढ़ दौड़े, और उसे दुर्रा (कोड़ा) से पीटा। उस आदमी ने कहा:

अमीरुल मुमिनीन! यह तो मेरी बीबी है। तो आपने फ़रमाया: तुमने उससे ऐसी जगह क्यों नहीं बात की जहाँ तुम्हें कोई न देखता।

इस्लाम की खूबी यह है कि उसने तुहमत और शक की जगहों से मुसलमानों को दूर रखा है। अतः यह कैसे जायज़ होगा कि औरत तन्हा दर्जी के पास जा कर अपने जिस्म की पैमाइश (नाप) कराए, या फ़ोटो ग्राफ़र के पास जा कर तन्हा फ़ोटो खिंचवाए, या ग़ैर महरम (महरम पति तथा वह व्यक्ति है जिससे उसकी शादी हराम है जैसे बाप, बेटा, भाई, चचा, मामू वग़ैरा) के साथ सवार हो, या एक मुसलमान औरत महरम के बग़ैर ग़ैर इस्लामी मुल्कों का सफ़र करे, या डाक्टरी चेक की गर्ज़ (उद्देश्य) से तन्हा डाक्टर के पास जाए, जैसाकि मौजूदा दौर (वर्तमान काल) में इस किस्म के फ़िल्ने बहुत आम हो गए हैं, और अम्र व नह्य (आदेश निषेध) का निज़ाम ढीला पड़ चुका है, और बुराई करने वाले तथा फ़साद फैलाने वाले -जिनकी ताक़त बहुत बढ़ चुकी है- की सज़ा भी ख़त्म हो चुकी है, और भलाई तथा कल्याण चाहने वालों के खिलाफ़ आपस में जुदाई पसंदी, पस्पाई (हराने) और धोखे बाज़ियों में मदद करते हैं, बस अल्लाह ही हमारा सहायी व मददगार है।

ऐ अल्लाह! हमारी निगाहों और कानों में बरूकत दे, हमारे दिलों को मुनव्वर (प्रकाशित) फ़रमा, हमारी इस्लाह (संशोधन) फ़रमा, और हमारे दिलों को जोड़ दे, और हमें सलामती का रास्ता दिखा, और अंधेरों से बचा कर नूर की राह पर चला, और ज़ाहिरी व बातिनी (प्रकाश्य व अप्रकाश्य) बेहयाइयों से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमा दे।

ऐ दया करने वालों में सबसे ज़्यादा दया करने वाला! अपनी ख़ास रहमत से हमें और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बख़्श दे।

अल्लाह तआला मुहम्मद, उनके आल व औलाद तथा उनके सहाबियों पर दुरूद व सलाम नाज़िल करे।

## ❁ ज़ालिम से बचने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसकी तालीम (शिक्षा) यह है कि इंसान जब किसी बदकार (दुराचारी), पापी या मुज़्रिम (अपराधी) की ओर से आजूमाइश (परीक्षा) में मुब्तला हो जाए (फँस जाए) तो उसको चाहिए कि जहाँ तक हो सके उससे बचे, और उसकी बुराई से दूर रहे, और उसके साथ रवादारी बर्ते (न्याय संगत आचरण करे) और उससे बचे।

अबु दर्रदा رضي الله عنه फ़रमाते हैं: हम लोगों के सामने खुश तबई (सुशीलता) का इज़हार (व्यक्त) करते हैं, जबकि हमारे दिल उनको लानत (शाप) करते रहते हैं, मतलब इसका यह है कि जिन बदकारों (दुराचारियों) को रोकने और टोकने की ताक़त न हो उनके साथ रवादारी ही करनी चाहिए, अर्थात उनके बुराई और तकलीफ़ पहुँचाने तथा जुर्म साज़ी (आपराधिक गतिविधियों) के डर की वजह से तो उनसे रवादारी बर्तो, लेकिन दिल से उनकी मुख़ालफ़त (विरोधिता) करो।

और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि आपस में एक दूसरे को सुधार का हुक्म दिया जाए, और कुरआन व हदीस से इसकी दलीलें बहुत हैं।

## ❁ सतर पोशी (ऐब छिपाने) का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि मुसलमानों की भेद और उनके दोषों तथा ऐबों को छिपाने का हुक्म दिया जाए। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [بخاري/مظالم ۳ (۲۴۴۲)]

«और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छिपायेगा अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके ऐब छिपायेगा।» (बुख़ारी: मज़ालिम ३, हदीस नम्बर: २४४२) और आप ﷺ का इरशाद है:

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِيسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا

عَوْرَاتِهِمْ». [مسند أحمد/ ۴ (۴۲۱) (صحيح لغيره)]

«ऐ वह लोगो जो सिर्फ़ जुबान से ईमान लाए हो, और उनके दिल तक ईमान

नहीं पहुँचा है! मुसलमानों की गीबत मत करो और उनके ऐब मत तलाश करो ॥  
(मुस्नद अहमद: ४/४२९) (सहीह लिगैरिह)

## ❁ मुसलमानों को खुश करने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि मुसलमान के दिल में आनंद तथा खुशी पैदा की जाए और मुहताज (ज़रूरतमंद) की मदद की जाए। रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» . [بخاري/الإيمان ٧ (١٣)]

«वह शख्स मुमिन नहीं जब तक कि वह अपने भाई के लिए भी वही न पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है ॥» (बुखारी: अल्ईमान ७, हदीस नम्बर: १३)

और फरमाया:

«مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ» . [بخاري/المظالم ٣ (٢٤٤٢). مسلم/البر والصلة ١٥ (٢٥٨٠)]

«जो शख्स अपने भाई की कोई हाजत (प्रयोजन) पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह तआला उसकी हाजत पूरी करने में लगा रहता है ॥» (बुखारी: अल्मज़ालिम ३, हदीस नम्बर: २४४२, मुस्लिम: अल्बिर् वसिसला १५, हदीस नम्बर: २५८०)

और इस्लाम की खूबियों में से मुसलमान और ख़ास तौर पर बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त और बच्चों के साथ प्यार करना भी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا» . [ترمذي/البر والصلة ١٥ (١٩١٩) (صحيح)]

«वह शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम न करे, और हमारे बड़ों की इज़्ज़त न करे ॥» (तिर्मिज़ी: अल्बिर् वसिसला १५, हदीस नम्बर: १६१६) (सहीह) और फ़रमाया:

«إِنَّ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ» . [أبو داود/الأدب ٢٣ (٤٨٤٣) (حسن)]

«अल्लाह को बड़ा मानने में बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करना भी शामिल है ॥» (अबू दाऊद: अल्अदब २३, हदीस नम्बर: ४८४३) (हसन)



## कानाफूसी, फालतू बात तथा बद जुबानी से बचना

इस्लाम की खूबियों में बेहयाई और बद जुबानी से मना करना भी है। रसूलुल्लाह

ﷺ ने फरमाया:

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبُذِيِّ» . [ترمذي/البر والصلوة ٤٨

(١٩٧٧)(صحیح)]

«मुमिन ताना देने वाला, लानत (शाप) करने वाला, बेहया और बद जुबान नहीं होता है।» (तिर्मिज़ी: अल्बिर् वस्सिला ४८, हदीस नम्बर: १६७७) (सहीह)

और इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने तीसरे की मौजूदगी (उपस्थिति) में दो आदमियों को आपस में चुपके चुपके बात करने से मना किया है, क्योंकि तीसरे आदमी को उससे तक्लीफ़ होगी, वह यही समझेगा कि यह दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस लिए यह अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यह भी अदब के ख़िलाफ़ है कि किसी के सामने ऐसी जुबान में बात की जाए जिसे वह न जानता हो। रसूलुल्लाह ﷺ का इर्शाद है:

«لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنْ ذَلِكَ يُحْزَنُهُ» . [بخاري/الاستئذان ٤٥ (٦٢٨٨), مسلم/السلام

١٥ (٢١٨٤)]

«दो आदमी तीसरे को छोड़ कर कानाफूसी न करें, क्योंकि यह चीज़ उसे रंजीदा (दुःखित) कर देगी।» (बुख़ारी: अल्इस्तीज़ान ४५, हदीस नम्बर: ६२८८, मुस्लिम: अस्सलाम १५, हदीस नम्बर: २१८४)

और इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि आदमी बेकार और बेज़रूरत बातों में दख़ल न दे, और यह बात रसूलुल्लाह ﷺ की जामेअ (व्यापक) बातों में शामिल है जैसाकि हदीस में है:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» . [ترمذي/الزهد ١١ (٢٣١٧), ابن ماجه/الفتن ١٢

(٣٩٧٦)(صحیح)]

«किसी शख्स के इस्लाम की खूबी यह है कि वह बेकार और फालतू बातों को



छोड़ दे।» (तिर्मिज़ी: अज़्जुहद 99, हदीस नम्बर: २३१७, इब्नु माजा: अल्फ़ितन 92, हदीस नम्बर: ३६७६) (सहीह)

इस हदीस के मतलब को बाज़ लोगों ने इन लफ़्ज़ों (शब्दों) में ताबीर की: 'अपने ज़ाती काम ही के खोज में रहो।'

अगर मुसलमान अपने पैग़म्बर की बातों तथा नसीहतों को अपनाते तो खुद भी आराम पाते और दूसरों को भी आराम पहुँचाते। अगर तुम अक्सर (अधिकांश) झगड़ों, झगड़ों, इख़िलाफ़ात व लड़ाइयों की टोह (खोज) लगाओगे तो तुम्हें उन सब का एक सबब मालूम होगा, और वह है बेकार कामों में दख़ल देना।

### ❁ बीच रास्ते में बैठने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने रास्तों में बैठने से मना किया है, क्योंकि इससे नामुनासिब (अनुचित) बातों का सामना करना होता है, और बैठने वालों पर जो बातें आइद (अर्पित) होती हैं वह बसा औकात (बहुधा) उन्हें पूरे नहीं कर पाते, जैसे: अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना, और मज़्लूम (अत्याचारित व्यक्ति) की मदद करना, और ज़ालिम (अत्याचारी) को जुल्म से रोकना, और जुल्म से रोकना यह उसकी मदद करना है, और मुसलमान की मदद करना, और निगाह नीची रखना, और सलाम का जवाब देना और तकलीफ़ देह (कष्टदायक) चीज़ को दूर करना।

### ❁ अल्लाह के नाम पर पनाह (आश्रय) देने का हुक्म

इस्लाम धर्म की खूबियों में से यह भी है कि जो व्यक्ति हमसे अल्लाह के नाम पर पनाह माँगे उसे हम पनाह दें, और जो व्यक्ति अल्लाह के नाम पर सवाल करे हम उसको दें, और जो शख़्स हमारे साथ भलाई करे, हो सके तो हम उसको अच्छा बदला पेश करें, अगर बदला न दे सकें तो उसके लिए अल्लाह से बेहतरीन बदला की दुआ करें, क्योंकि उसने हमारे साथ नेकी की है। जैसाकि हदीस में आया है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِينُوهُ». [أبو داود / الأدب ١١٧ (٥١٠٩) (صحيح)]

«जो शख्स तुमसे अल्लाह के वास्ते से पनाह तलब करे तो उसे पनाह दो।»

(अबू दाऊद: अल्अदब ११७, हदीस नम्बर: ५१०९) (सहीह)

मुहम्मद और उनके आल् व औलाद पर दुखद व सलाम नाज़िल हो।





## नसीहत, इज़्ज़त की हिफ़ाज़त, मियानारवी (मध्यवर्तिता) व सब का हुक्म

इस्लाम धर्म की खूबियों में यह भी है कि तुम अपने आत्मा के साथ न्याय करो, और दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और अपने आपको मुसलमान भाईओं ही की तरह समझो, और उनके साथ ऐसा मामला करो जैसाकि तुम अपने लिए पसंद करो, और उनके हुक्क (प्रायों) को पूरी तरह अदा करो। बुख़ारी में तअलीक़न यह हदीस मौजूद है:

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَدَلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنصَافُ مِنَ الْإِفْتَارِ. [بخاري / الإيمان ٢٠ تعليقا]

अम्मार رضي الله عنه ने कहा: जिसने तीन चीज़ों को जमा कर लिया उसने सारा ईमान हासिल कर लिया। अपने नफ़्स से इंसाफ़ करना, सलाम को दुनिया में फैलाना, और तंगदस्ती (अर्थकष्ट) के बावजूद अल्लाह की राह में खर्च करना। (बुख़ारी: अल्ईमान २० तअलीक़न)

﴿وَيُؤْتُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]

“दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर मुक़दम समझते (अग्राधिकार देते) हैं, गो खुद को कितनी ही सख़्त हाजत हो।” (अल्हश्म: ९)

और आप ﷺ ने फ़रमाया:

«طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الْاِثْنَلَاةِ». [بخاري / الأطعمة ١١ (٥٣٩٢), مسلم / الأشربة ٣٣ (٢٠٥٨)]

«दो आदमियों का खाना तीन आदमियों के लिए काफी है।» (बुख़ारी: अल्अत्इमा 99, हदीस नम्बर: ५३६२, मुस्लिम: अल्अशरिबा ३३, हदीस नम्बर: २०५८)

एक दूसरी हदीस में आप ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ؛ فَلْيَعُدَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدَّ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.» [مسلم / الجهاد ٤ (١٧٢٨)]

«जिसके पास ज़ाइद (प्रयोजनाधिक) सवारी हो वह उसे दे दे जिसके पास सवारी न हो, और जिसके पास ज़ाइद तोशा (खाना) हो वह उसे दे दे जिसके पास तोशा न हो» (मुस्लिम: अल्जिहाद ४, हदीस नम्बर: १७२८)

और आप ﷺ ने इस बारे में माल की मुख़्तलिफ़ किस्मों (विभिन्न प्रकारों) का ज़िक्र फ़रमाया, अबू सईद رضي الله عنه कहते हैं कि आपकी इन बातों से हमने यहाँ तक समझ लिया कि फ़ज़िल और ज़ाइद (प्रयोजनाधिक) चीज़ों पर किसी के मालिक होने का अधिकार नहीं।

❁ इस्लाम की खूबियों तथा उसके बुलंद अख़्लाक में से यह भी है कि आदमी अपने मुसलमान भाई की इज़ज़त और उसके जान व माल की जुल्म व ज़्यादती से जहाँ तक हो सके हिफ़ाज़त करे, और उससे इस जुल्म व ज़्यादती को दूर करने के लिए हर मुम्किन कोशिश करे, और पूरी ताक़त से उसकी दिफ़ाअ (प्रतिरोध) करे।

अबु दर्दा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के पास जब एक आदमी ने किसी हतक आमेज़ (अपमान जनक) तरीका का ज़िक्र किया तो एक दूसरे शख़्स ने उसका दिफ़ाअ (प्रतिरोध) किया, उस वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ ने इरशाद फ़रमाया:

«مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضٍ أَخِيهِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» [ترمذي / البر والصلة ٢٠

(١٩٣١), مسند أحمد: ٦/٤٤٩, ٤٥٠ (صحيح)]

«जो शख़्स अपने भाई की इज़ज़त (उसकी ग़ैर मौजूदगी तथा अनुपस्थिति में) बचाए, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा।»

(तिर्मिज़ी: अल्बिर वस्सिला २०, हदीस नम्बर: १६३१, मुस्नद अहमद: ६/४४६, ४५०) (सहीह)

❁ और इस्लाम की खूबियों में से कंजूसी और फुजूल ख़र्ची (अपव्यय) के

दरूमियान राहे एतेदाल (दरूमियानी रास्ता) अखितयार करने का हुक्म तथा सलाह-मश्वरा भी है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: २९]

“और न तो अपना हाथ गर्दन से बाँध रखो, और न ही उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा (तिरस्कृत) और अज़िज़ (अक्षम) बन कर रह जाओ।” (अल्इसरा: २९)

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ६७]

“और जो खर्च करते हैं तो न फुजूल खर्ची (अपव्यय) करते हैं न कंजूसी, बल्कि उनका खर्च दोनों के दरूमियान एतेदाल (मध्यम) पर कायम रहता है।” (अल्फुरकान: ६७)

✿ और इस्लाम की खूबियों में से सब्र की तीनों किस्मों की तल्कीन (उपदेश) भी है यानी अल्लाह की इताअत व फ़र्मा बर्दारी पर सब्र, और उसकी नाफ़रमानी से दूर रहने पर सब्र, और ग़म पहुँचाने वाली तक्दीर पर सब्र करना।

## ✿ यतीम व मिस्कीन का ख़्याल

इस्लाम की खूबियों में से कम्ज़ोरों पर दया करना, और फ़कीरों पर मेहरबानी करना, और यतीमों के साथ रहम दिली, और नौकरों, गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी तक्लीफ़ को दूर करना, उनके साथ अच्छा मामला करना, नम्रता व नरमी करना तथा उनके साथ नरम ख़ूई (कोमलता) करना। अल्लाह तआला ने रसूल ﷺ को इर्शाद फ़रमाया:

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: २१०]

“और उसके साथ फ़रोतनी (विनम्रता) से पेश आओ जो भी ईमान लाने वाला हो कर आपकी ताबेदारी करे।” (अश्शुअरा: २१५)

और इर्शाद फ़रमाया:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الکہف: २८]

“और अपने आपको उन्हीं के साथ रखा करो जो अपने रब को सुबह व शाम पुकारते हैं, और उसी के चेहरे के इरादे रखते हैं (रिज़ामंदी चाहते हैं)।”  
(अल्कह्फ़: २८)

और इरशाद फ़रमाया:

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۱ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۲﴾ [الضحى: १-२]

“पस यतीम पर तुम भी सख्ती न किया करो, और न सवाल करने वालों पर डॉट डपट।” (अज्जुहा: ६-१०)

और फ़रमाया:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّبِنِ ۝۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝۲ وَلَا يَحْصُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝﴾ [الماعون: १-३]

“क्या आपने (उसे भी) देखा जो बदले के दिन को झुटलाता है, यही वह है जो यतीम को धक्के देता है और मिसकीन को खिलाने की तरगीब (उत्साह) नहीं देता।” (अल्माऊन: १-३)

और फ़रमाया:

﴿فَكَرِهَ ۝۱۳ أَوْ اطَّعَمَ ۝۱۴ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝۱۵ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝۱۶ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَمْرَةٍ ۝﴾

[البعد: १३-१६]

“किसी गर्दन (गुलाम लौंडी) को आज़ाद करना, या भूक वाले दिन खाना खिलाना, किसी रिश्तादार यतीम को या ख़ाक्सार मिसकीन को।” (अल्बलद: १३-१६)

और फ़रमाया:

﴿عَسَىٰ وَفُوًّا ۝۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۝۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَنِّي ۝﴾ [عبس: १-३]

“उसने खड्डा मुँह बनाकर मुँह मोड़ लिया, (सिर्फ़ इस लिए कि) उसके पास एक नाबीना (अंधा) आया, तुम्हें क्या पता शायद वह सुधर जाता।” (अबस: १-३)

## ❁ जानवरों पर रहम तथा दया करने का हुक्म

इस्लाम धर्म की खूबियों में से नरम दिली और मेहरबानी करना है, न कि संग दिली (निष्ठुरता), सख्ती और तक्लीफ़ पहुँचाना। यहाँ तक कि यही बर्ताव जानवरों के साथ भी करना है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»۔ [مسلم / السلام ٤٠ (٢٢٤٢)]

«एक औरत को एक बिल्ली के कारण अज़ाब हुआ, इस लिए कि उसने उसे पकड़े रखा, यहाँ तक कि वह मर गई, इसकी वजह से वह जहन्नम में गई, जब उसने उसे कैद में रखा तो उसने न खाना खिलाया, न पिलाया, और न ही उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकूड़े खा लेती।» (मुस्लिम: अस्सलाम ४०, हदीस नम्बर: २२४२)

और फ़रमाया:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بَيْتْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ، مِثْلَ الَّذِي كَانَ بِلَغْنِي، فَنَزَلَ الْبَيْتْرَ، فَمَلَأَ خُفَّهُ؛ فَأَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَضِرَ لَهُ»۔ [بخاري / الوضوء ٣٣ (١٧٣)، مسلم / السلام ٤١ (٢٢٤٤)]

«एक आदमी किसी रास्ता पे जा रहा था कि इसी दौरान उसे सख्त प्यास लगी, (रास्ते में) एक कुँआ मिला, उसमें उतर कर उसने पानी पिया, फिर बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता हाँप रहा है और सख्त प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है, उस शख्स ने दिल में कहा: इस कुत्ते को प्यास से वही हाल है जो मेरा हाल था, अतः वह (फिर) कुँए में उतरा, और अपने मोज़ों को पानी से भरा, फिर मुँह में दबा कर ऊपर चढ़ा, और (कुँए से निकल कर बाहर आ कर) कुत्ते को पिलाया, तो अल्लाह तआला ने उसका यह अमल कबूल फ़रमा लिया, और उसे बख़्श दिया।» (बुखारी: अलउजू ३३, हदीस नम्बर: १७३, मुस्लिम: अस्सलाम ४१, हदीस नम्बर: २२४४)

और मुस्लिम वगैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ एक गधे के पास से गुज़रे जिसे चेहरे पर दागा गया था, आप ﷺ ने देख कर फ़रमाया:

«لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَّمَهُ». [مسلم / الزينة ٢٩ (٢١١٧)]

«अल्लाह की लानत (शाप) हो उस पर जिसने उसको दागा है।» (मुस्लिम: अज़्ज़ीना २६, हदीस नम्बर: २११७)

ऐ अल्लाह! हमें ऐसी यक़ीनी तौफ़ीक़ दे कि तेरी नाफ़रमानी से बच जायें, और हमारी रहनुमाई फ़रमा कि तेरी रिज़ा के लिए हम कोशिश करें। और ऐ मौला! हमें रुस्वाई और अज़ाब से बचा, और हमें वही प्रदान कर जो तू ने अपने वलीयों और चाहने वालों को दिया, और हमें दुनिया में भी नेकी प्रदान कर, और आख़िरत में भी, और जहन्नम के अज़ाब से बचा। ऐ कृपा करने वालों में सबसे ज़्यादा कृपा करने वाला! अपनी ख़ास रहमत से हमको और हमारे माँ बाप को और तमाम मुसलमानों को बख़्श दे।

मुहम्मद तथा उनके अहल व अयाल और उनके तमाम सहाबियों पर दुख़द व सलाम नाज़िल हो।

## ❁ लोगों के मक़ाम व मर्तबा (दरजा व पद) का लिहाज़

इस्लाम की खूबियों में से हिक्मत के साथ मामलों को अंजाम देना भी है, और वह इस तरह कि हम हर मुमिन इंसान को उसके मक़ाम व मर्तबा पर रखें, और उसकी इज़त व जज़्बात (मनोविकार) का पास व लिहाज़ रखें और उसे वही मक़ाम प्रदान करें जो उसके लिए लाएक़ (उपयुक्त) है, उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». [أبو داود / الأدب ٢٣ (٤٨٤٢) (ضعيف)]

«हर शख़्स को उसके मर्तबे पर रखो।» (अबू दाऊद: अल्अदब २३, हदीस नम्बर: ४८४२) (ज़ईफ़)

और एक रिवायत में है कि उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा सफ़र कर



रही थीं, एक जगह उतरतीं कि आराम करें, और खाना खायें, वहाँ एक फ़कीर सवाली आया तो आपने फ़रमाया: एक किर्श (पैसा) दे दो, दूसरा शख्स घोड़े पर सवार होकर सामने से गुज़रा, आपने फ़रमाया: उसे खाने पर बुलाओ, आपसे पूछा गया कि आपने इस मिस्कीन को एक किर्श देकर चलता किया, और इस मालदार आदमी को खाने पर बुलाया? आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक़ (ओहदे के अनुसार) जगह दी है, हमारा भी फ़र्ज़ (कर्तव्य) है कि लोगों के साथ उनकी हैसियत के मुताबिक़ ही बर्ताव करें, यह मिस्कीन एक किर्श पर खुश हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नामुनासिब (अनुचित) है कि इस मालदार को जो इस शान से आया हो हम एक किर्श दें। -अल्लाह उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर रहम फ़रमाये- कितना अच्छा जवाब दिया, जो हिक्मत व दानाई (अक्लमंदी), अच्छे ज़ौक और उम्दा अख़्लाक़ (उचित व्यवहार), बाइज़्ज़त मामला, और अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के मुकम्मल इत्तिबा का आईनादार (निर्देशन की पूर्ण फ़रमा बर्दारी) है।

और रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ अपने एक घर में दाख़िल हुए, आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम भी उस घर में जमा हो गए, यहाँ तक कि बैठक भर गई, बाद में जरीर बिन अब्दुल्लाह अल्बजली ؓ तशरीफ़ लाए, जगह न पा कर दरवाज़े ही पर बैठ गए, रसूलुल्लाह ﷺ ने चादर लपेट कर उन्हें पेश की, और फ़रमाया: इस पर बैठ जाओ, जरीर ؓ ने चादर लेकर अपने चेहरे से लगाई, उसे बोसा देने और रोने लगे, और अपने लिए रसूलुल्लाह की तक़रीम (आदर) से बहुत मुतअस्सिर (प्रभावित) हुए, उन्होंने शुकरिया से भरे हुए जज़्बात (मनोविकार) के साथ चादर लपेट कर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पेश करते हुए कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जैसी आपने मुझे इज़्ज़त दी अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त बख़्शे, आपकी मुबारक चादर पर मैं नहीं बैठ सकता, रसूलुल्लाह ﷺ ने दायें बायें देख कर फ़रमाया:

«إِذَا أَنْتَكُمُ كَرِيمٌ قَوْمٌ فَأَكْرِمُوهُ». [ابن ماجه / الأدب ١٩ (٢٧١٢) (حسن)]

«जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई इज़्जतदार आदमी (सम्मानित व्यक्ति) आए, तो तुम उसका इह्तिराम (सम्मान) करो।» (इब्नु माजा: अल्अदब 9६, हदीस नम्बर: २३9२) (हसन)

इस बेहतरीन मामला पर गौर कीजिए तो रसूलुल्लाह ﷺ के मामले का एक कामिल नमूना (परिपूर्ण आदर्श) इसी में मिलेगा कि किस तरह आपने जर्रीर رضي الله عنه के मर्तबे का ख्याल फ़रमाया, और उनकी इज़्जत बढ़ाई, जर्रीर رضي الله عنه ने आपके अच्छे सुलूक से किस क़दर प्रभावित हुए।

### औरतों के हुक्क (अधिकार)

इस्लाम की खूबियों में यह है कि उसने शौहरों पर बीवियों के वैसे ही हुक्क मुकर्रर किए जैसे मर्दों में भलाई करने में, अच्छी गुज़र बसर में, तकलीफ़ न पहुँचाना। अल्बत्ता 'बीवियों पर शौहरों को मज़ीद मर्तबा (अधिक मान) बख़्शा' यह मर्तबा अख़्लाक और रुत्बे की फ़ज़ीलत, फ़र्माबर्दारी, नान नफ़का की अदाएगी, महर की अदाएगी, उनकी भलाई का हक़ अदा करना, दुनिया व आख़िरत में मर्दों की फ़ज़ीलत वग़ैरा शामिल हैं।

### जाहिलियत के रस्म व रिवाज की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने औरत को अह्द जाहिलियत (अज्ञ युग) के ज़ालिमाना रिवाज (अत्याचारपूर्ण प्रथा) से नजात दिलाई, चुनौचि औरत अह्द जाहिलियत में अपने बाप या शौहर की जायदाद समझी जाती थी, और बेटा बाप के मरने के बाद अपनी बेवा (विधवा) माँ का वारिस होता था। और इस्लाम से पहले अरब औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में ले लेते थे। वारिस आकर बाप की बीवी के चेहरे पर चादर डाल कर कहता था कि जैसे मैं अपने बाप के माल का वारिस हूँ इसी तरह उसकी बीवी का भी वारिस हो गया, और जब वह चाहता तो महर के बग़ैर उस औरत से शादी कर लेता, या अपने किसी आदमी से उसकी शादी करा देता, और उसका महर खुद वसूल कर लेता, या

शादी करना उसके लिए हराम कर देता ताकि उसका वारिस बन जाए। इस्लामी शरीअत ने ऐसी शादी और इस विरासत को रद (खंडन) कर दिया। अल्लाह तअला का फ़र्मान है:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ [النساء: १९]

“ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों को विरासत में ले बैठो।” (अन्निसा: १९)

और जाहिलयत के ज़माना में अरब के लोग औरतों को शादी करने से रोकते थे, वारिस का बेटा बाप की बीवी को शादी करने से इस लिए रोकता था कि औरत उसके बाप की जो मीरास बीवी की हैसियत से पाए वह उसके बेटे को दे दे, इसी तरह बाप अपनी बेटी को केवल इसी नियत से शादी से रोकता था कि लड़की अपनी तमाम मिलकियत बाप को दे दे, और आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देकर शादी करने से रोकता था कि उसकी जायदाद में से जो चाहे हासिल कर ले, और नाराज़ शौहर अपनी बीवी के साथ गुज़र बसर में बद सुलूकी करता, और उसे तंग करता, और तलाक़ नहीं देता था, ताकि औरत अपना महर उसको वापस कर दे। खुलासा (सारांश) यह है कि अरब इस्लाम से पहले औरतों पर जुल्म व सितम ढाते और हुकूमत करते थे। अल्लाह तअला का इश्शाद है:

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ تَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: १९]

“और उन्हें इस लिए न रोक रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उस में से कुछ ले लो।” (अन्निसा: १९)

और वह लोग नान व नफ़्का, लिबास और गुज़र बसर में औरतों के दर्मियान इंसाफ़ नहीं करते थे, इस्लाम ने मर्दों को औरतों के दर्मियान इंसाफ़ करने का हुक्म दिया। अल्लाह तअला का फ़र्मान है:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: १९]

“उनके साथ अच्छी तरीके से गुज़र बसर करो।” (अन्निसा: १६)

और फ़रमाया:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: २]

“अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का डर हो तो एक ही काफी है।” (अन्निसा: ३)

और फ़रमाया:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ [النساء: २०]

“और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और उनमें से किसी को तुमने खज़ाना का खज़ाना दे रखा हो, तो भी उसमें से कुछ न लो, क्या तुम उसे नाहक़ और खुला गुनाह होते होते ले लोगे।” (अन्निसा: २०)

और दीनी हैसियत से मर्द औरत दोनों बराबर हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ९७]

“जो शख्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत, लेकिन ईमानदार हो तो हम उसे यकीनन (निश्चय) बेहतर ज़िंदगी प्रदान करेंगे, और उनके नेक आमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर ज़रूर देंगे।” (अन्नहूल: ६७)

और मालिक तथा अधिकारी होने की हैसियत से फ़रमाया:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

[النساء: ७]

“माँ बाप और रिश्तेदार के तरिका (छोड़े हुए माल) में मर्दों का हिस्सा भी है, और औरतों का भी जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर मरें।” (अन्निसा: ७)

❁ और इस्लाम की खूबियों के लिए यह काफी है जो उसने औरत को दीन और मिल्कियत और कमाई में मुसावात (बराबरी) प्रदान की। और उसे शादी

के बारे में जो ज़मानतें प्रदान कीं कि शादी औरत की इजाज़त और रिज़ामंदी से हो, ज़बरदस्ती तथा लापरवाही न की जाए। रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

«لَا تَنْكُحُ النِّيبَّ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرَ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ:

«أَنْ تَسْكُتَ». [بخاري / النكاح ٤١ (٥١٣٦)، مسلم / النكاح ٩ (١٤١٩)]

«सैइब (तलाक़प्राप्ता या विधवा) औरत की शादी न की जाए जब तक उससे पूछ न लिया जाए, और न ही कुमारी औरत की शादी बग़ैर उसकी इजाज़त के की जाए।» लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: «(उसकी इजाज़त यह है कि) वह ख़ामूश रहे।» (बुख़ारी: अन्निकाह ४१, हदीस नम्बर: ५१३६, मुस्लिम: अन्निकाह ६, हदीस नम्बर: १४१६)

और औरत के बारे में अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: २४]

“जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ, उन्हें उनका मुक़रर किया हुआ महर दे दो।” (अन्निसा: २४)

✿ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि अरब के लोग इस्लाम से पहले लड़कियों को शर्म व आर के डर से ज़िंदा दर गोर कर देते थे, ज़िंदा जीते जी दफ़न कर देते थे, यहाँ तक कि वह मर जाती, इस्लाम ने उनके दफ़न व क़त्ल को क़तई (निश्चित रूप से) हराम करार दिया, और उन्हें ज़िंदगी में बहुत से हुकूक़ (अधिकार) प्रदान किए। इस तरह इस्लाम ने औरत के साथ भरपूर इंसाफ़ किया और उसकी ज़िंदगी और इंसानी हुकूक़ (मानवाधिकार) की हिफ़ाज़त फ़रमाई।

ऐ अल्लाह! हमको ग़म व दुःख और अज़िज़ी (अक्षमता) व सुस्ती, और बुज़दिली (भीरुता), और कंजूसी, और क़र्ज़ के बोझ, और लोगों के दबाव, और दुश्मनों के हँसने से अपनी पनाह में रख। और ऐ दया करने वालों में सबसे ज़्यादा दया करने वाला! हमें और हमारे माँ बाप और तमाम मुसलमानों को अपनी ख़ास दया व रहमत से बख़्श दे।

मुहम्मद, उनके आल व औलाद (परिवार परिजन) और उनके सहाबियों पर दुरुद व सलाम नाज़िल हो।



## दौरे जाहिलियत के अक़ीदे से इज़्तिनाब (अज्ञता काल के धर्म-विश्वास से दूर रहना)

इस्लाम की खूबियों में से कहानत (भविष्यवाणी) को बातिल तथा हराम करार देना, और चिड़ियों के मना करने (चिड़ियों से बद फ़ाली लेना) और मैसिर (जूए की एक किस्म) को हराम करार देना है। और उन्हीं जाहिलाना बातों में से पाँसा फेंकना, बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। (यह उन जानवरों की किस्में हैं जिन्हें अह्ले अरब बुतों के नाम आज़ाद छोड़ देते थे।)

और उन्हीं जाहिलाना मामलों में से जिन्हें इस्लाम ने हराम करार दिया मेंगनी का फेंकना भी है। दौरे जाहिलियत (अज्ञता काल) में यह दस्तूर था कि औरत का शौहर जब मर जाता तो किसी कोठरी में चली जाती, और साल भर गंदे कपड़े पहनती, खुशबू को हाथ न लगाती, फिर उसके पास एक जानवर लाया जाता जैसे गधा, या चिड़या या बक्री जिसे टुकड़े करती, जब भी वह टुकड़े करती, वह जानवर मर जाता, इसके बाद औरत को मेंगनी दी जाती जिसे वह फेंकती थी फिर वह जो चाहती करती।

और उन्हीं जाहिली चीज़ों में से औलाद को ग़रीबी के डर से मार डालना भी है, आदमी अपने लड़के को इस डर से मार डालता था कि वह उसके साथ खाएगा। अल्लाह तआला ने इसको मना फ़रमाया:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾

[الإسراء: ३१]


“और ग़रीबी के डर से अपनी औलादों को न मार डालो, उनको और तुमको हम ही रोज़ी देते हैं, बेशक उनका क़त्ल करना बड़ा गुनाह है।” (अल्इस्रा: ३१)

और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने बुत परस्तों (मूर्ती पूजकों), मुश्रिकों और काफ़िरों को ईमानदार, नेक, परहेज़गार, ज़ाहिद (तापस) और

अल्लाह भीरु बना दिया, जो अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ उसी की बंदगी करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, और हक पर डटे रहते हैं, अल्लाह के बारे में उन्हें किसी की मलामत का डर नहीं। इर्शाद है:

﴿وَيُؤْتُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: १]

“वह अपने ऊपर उन्हें तर्जीह (प्रधानता) देते हैं, गो खुद उन्हें कितनी ही सख्त ज़रूरत हो।” (अल्हशर: ६)









## बेवफ़ाई और ग़द्दारी की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से बेवफ़ाई को हराम कर देना भी है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ [المائدة: १]

“ऐ ईमान वालो! अहद व पैमान (वादा व प्रतिज्ञा) पूरे करो।” (अल्माइदा: १)

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا﴾ [الإسراء: ३४]

“और वादे पूरे करो, क्योंकि वादे के बारे में पूछा जाएगा।” (अल्इस्रा: ३४)

और रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

﴿لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاۤءٍ، يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. [بخاري / الجزية २२ (२१८८)]

«हर दगाबाज़ के लिए कियामत के दिन एक झंडा होगा जो उसकी दगाबाज़ी की अज़लामत (चिन्ह) के तौर पर (उसके पीछे) गाड़ दिया जाएगा।» (बुख़ारी: अल्जिज़्या २२, हदीस नम्बर: ३१८८)

और फ़रमाया:

﴿اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدْعَهَا، اِذَا اُوْتِمِنَ خَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ﴾.

[بخاري / المظالم १७ (२४०९)]

«चार आदतें (अभ्यास) जिस किसी में हूँ तो वह ख़ालिस (ख़ाँटी) मुनाफ़िक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वह (भी) निफ़ाक़ (कपटता) ही है, जब तक उसे न छोड़ दे, (वह यह हैं:) जब उसके पास अमानत

रखी जाए तो (अमानत में) ख़ियानत करे, और बात करते समय झूट बोले, और जब (किसी से) वादा करे तो उसे पूरा न करे, और जब लड़ाई झगड़ा करे तो ग़ाली गुलूच बके ७» (बुख़ारी: अल्मज़ालिम १७, हदीस नम्बर: २४५६)

और फ़रमाया:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».

[بخاري/الإجارة ۱۰ (۲۲۷۰)]

«अल्लाह तआला का फ़रमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका कियामत में मैं खुद मुद्दई (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे अहद किया फिर वादा ख़िलाफ़ी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मजूदूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मजूदूरी न दी ७» (बुख़ारी: अल्इजारा १०, हदीस नम्बर: २२७०)

## ❁ रोज़ी कमाने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से काम करने और रोज़ी कमाने की तर्गीब (उत्साह) देना, और सुस्ती तथा बग़ैर ज़रूरत के लोगों से माँगने को रोकना है। इस्लाम कोशिश, अमल और जिद्द व जहद (पराक्रम) का दीन है, सुस्ती, काहिली और अज़िज़ी (निर्बलता) का दीन नहीं। इस्लाम वह दीन है जो इंसानी इज़ज़त व सम्मान और शख़्सी बुज़र्गी का मुहाफ़िज़ (रक्षक) है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ۱۰۵]

“कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह और उसके रसूल खुद देख लेंगे।” (अल्तौबा: १०५)

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۳۱﴾ وَأَنْ سَعَيْهِ سَوْفَ يُرَى﴾ [النجم: ३९-४०]

“हर इंसान के लिए सिर्फ़ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की है, और बेशक उसकी कोशिश अन्क़रीब (शीघ्र) देखी जाएगी।” (अन्नज़्म: ३६-४०)

और इस्लाम दीन व दुनिया दोनों के लिए कोशिश करने की तर्गीब देता है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصاص: ११]

“और जो कुछ अल्लाह तआला ने तुझे दे रखा है उस में से आखिरत के घर की तलाश भी रखो, और अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूलो।” (अल्क़सस: ७७)

और फ़रमाया:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: १०]

“जब नमाज़ हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल (अनुकम्पा) तलाश करो।” (अल्जुमुअ: १०)

## ❁ मोतदिल (परिमित) खाने पीने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से मोतदिल व मियाना रौ (परिमित तथा मध्यम) खाना पीना अख़्तियार करने की हिदायत भी है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ३१]

“ख़ूब खाओ और पीओ और हद से मत निकलो (सीमा लंघन न करो), बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता।” (अल्आराफ़: ३१)

और एक हदीस में यूँ है:

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقِمْنَ صَلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلَّتْ لَطْعَامِهِ، وَتَلَّتْ لَشْرَابِهِ، وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ». [ترمذي / الزهد ٤٧ (٢٣٨٠)، ابن ماجه / الأَطْعَمَةُ ٥٠ (٣٢٤٩) (صحيح)]

मिक़दाम बिन मादीकरिब رضي الله عنه कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना: «किसी आदमी ने कोई बर्तन अपने पेट से ज़्यादा बुरा नहीं भरा, आदमी के लिए चंद लुक्मे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधी रखें, और अगर ज़्यादा ही खाना ज़रूरी हो तो पेट का एक तिहाई हिस्सा अपने खाने के लिए, एक तिहाई पानी पीने के लिए, और एक तिहाई साँस लेने के लिए बाकी

रखे ॥ (तिर्मिज़ी: अज़्जुहद ४७, हदीस नम्बर: २३८०, इब्नु माजा: अल्अत्तुइमा ५०, हदीस नम्बर: ३३४६) (सहीह)

✪ और इस्लाम की खूबियों में से हुक्क की अदायेगी में ताल मटोल करने की मनाही भी है। रसूलुल्लाह ﷺ का इर्शाद है:

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ». [مسلم / البيوع ٧ (١٥٦٤)]

«मालदार का ताल मटोल करना जुल्म है और जब किसी का कर्ज़ मालदार पर उतार दिया जाए तो वह उसी का पीछा करे ॥» (मुस्लिम: अल्बुयूअ ७, हदीस नम्बर: १५६४)

✪ तंग दस्त (निर्धन) को मुह्लत (अवकाश) देने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से तंग दस्त को मुह्लत (अवसर) देने का हुक्म भी है। अल्लाह तआला का फ़र्मान है:

﴿وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَإِنَّظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: २१०]

“और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मुह्लत देनी चाहिए।” (अल्बकरा: २८०)

अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी अक़्रम ﷺ ने फ़रमाया:

«كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا؛ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [بخاري / البيوع ٨ (٢٠٧٨)]

«एक ताजिर (व्यापारी) लोगों को उधार दिया करता था, जब किसी तंग दस्त को देखता तो अपने नौकरों से कह देता कि उसे माफ़ कर दो, शायद कि अल्लाह तआला हमें (आखिरत में) माफ़ कर दे, चुनांचि अल्लाह तआला ने (उसके मरने के बाद) उसको माफ़ कर दिया ॥» (बुखारी: अल्बुयूअ १८, हदीस नम्बर: २०७८)

और नबी अक़्रम ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ». [ابن ماجه / الصدقات ١٤ (٢٤١٨) (صحيح)]

«जो किसी तंग दस्त को मुह्लत देगा तो उसको हर दिन के हिसाब से एक सदका का सवाब मिलेगा, और जो किसी तंग दस्त को वक्त गुज़र जाने के बाद मुह्लत देगा तो उसको हर दिन के हिसाब से उसके कर्ज़ा के सदका का सवाब मिलेगा।» (इब्नु माजा: अस्सदकात १४, हदीस नम्बर: २४१८) (सहीह)

## ❁ रिश्वत की हुर्मत (घूस की मनाही) और नादिम (लज्जित) को माफ़ करने की तरगीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में रिश्वत से मना करना है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحَكْمِ». [ترمذي / الأحكام ٩ (١٣٢٦) (صحيح)]

«रसूलुल्लाह ﷺ ने फैसले में रिश्वत देने वाले, और रिश्वत लेने वाले दोनों पर लानत (शाप) भेजी है।» (तिर्मिज़ी: अल्अहकाम ९, हदीस नम्बर: १३३६) (सहीह)

और राएश उस शख्स को कहते हैं जो दोनों के दरमियान वास्ता (माध्यम) बनता हो यानी दलाल।

❁ और इस्लाम की खूबियों में नादिम (लज्जित व्यक्ति) को माफ़ करने की तरगीब देना भी है, क्योंकि इसमें इहसान (भलाई) और नेकी और उसकी दिलजुई (सांत्वना) है। हदीस में आया है:

«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». [أبو داود / البيوع ٥٤ (٣٤٦٠) و ابن ماجه / التجارات ٢٦

(٢١٩٩). مسند أحمد (٢/٢٥٢) (صحيح)]

«जो कोई मुसलमान भाई से बेचने का मामला फ़स्ख (रहित) कर ले, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसके गुनाह माफ़ कर देगा।» (अबू दाऊद: अल्बुयूअ ५४, हदीस नम्बर: ३४६०, इब्नु माजा: अल्लिजारात २६, हदीस नम्बर: २१६६, मुस्नद अहमद: २/२५२) (सहीह)

अल्लाह तआला मुहम्मद पर दुखद व सलाम नाज़िल करे।

## ❁ दीन में ख़ैर ख़ाही (सदुपदेश) का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से अल्लाह और उसकी किताब, और उसके रसूल, और मुसलमानों के शासकों, और आम मुसलमानों के साथ ख़ैर ख़ाही करना है।

अल्लाह के लिए ख़ैर ख़ाही का मतलब यह है कि उस पर ईमान लाया जाए, और उससे शरीक व साझी को दूर किया जाए, और उसके नामों और सिफ़तों की ग़लत तावील (अपव्यख्या) न की जाए, और उसे औसाफ़े कमाल के साथ मौसूफ़ (पूर्ण गुणों के साथ गुणान्वित) किया जाए, और दोषों तथा ऐबों से उसको पाक समझा जाए, उसके हुक्म की इताअत (आज्ञा पालन) की जाए, और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचा जाए, और उसकी इताअत करने वालों से दोस्ती की जाए, और उसकी नाफ़रमानी करने वालों से दुश्मनी की जाए, और इनके अलावा दूसरे वाजिबात (कर्तव्य) अदा किये जाएं।

और अल्लाह की किताब के साथ ख़ैर ख़ाही का मतलब यह है कि उस पर यह ईमान लाया जाए कि यह अल्लाह का कलाम है, उतारा गया, मख़्लूक नहीं है, और जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया उसको हलाल मानना, और उसकी हराम की हुई चीज़ को हराम मानना, और उसकी हिदायत पर चलना, उसके मआनी (अर्थों) पर ग़ौर करना, उसके हुक्म अदा करना, उसकी नसीहतों से नसीहत हासिल करना और उसकी धम्कियों से इब्रत (शिक्षा) हासिल करना।

और रसूलुल्लाह ﷺ के लिए ख़ैर ख़ाही का मतलब आपकी लाई हुई शरीअत की तस्दीक़ करना, आपसे मुहब्बत करना, और जान व माल तथा औलाद पर तर्ज़ीह (प्रधानता) देना, और ज़िंदगी तथा मौत दोनों हालतों में आपकी इज़्ज़त करना, और आपकी सुन्नत को सीखना, और उसको फैलाना, और उस पर अमल करना, और हर शख़्स की बात पर (चाहे वह कोई भी हो) आपकी बात को मुक़द्दम रखना (अग्राधिकार देना)।

और मुसलमानों के शासकों के साथ ख़ैर ख़ाही करने का मतलब यह है कि हक़

पर उनकी मदद की जाए, और उसी में उनकी इताअत की जाए, और उसका उनको हुक्म दिया जाए, और लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें याद दिलाई जाए, और मेहरबानी व नरमी तथा न्याय की ताकीद की जाए, और उनकी विलायत को तस्लीम (शासन को स्वीकार) किया जाए, और अल्लाह की नाफरमानी के अलावा बातों में उनके हुक्मों को सुना और माना जाए, और लोगों को उसकी तरगीब दी जाए, और जहाँ तक हो सके उनकी रहनुमाई की जाए, और उन चीज़ों की तरफ उन्हें ध्यान दिलाया जाए जो उनके लिए फ़ायदामंद हों, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकें और उनके हुक्म को अदा किया जाए।

और आम मुसलमानों के साथ ख़ैर ख़ाही का मतलब यह है कि दीनी और दुनियावी मसालेह (कल्याणों) की तरफ़ उनकी रहनुमाई की जाए, उनसे तकलीफ़ को दूर किया जाए, और अपने जिन दीनी बातों को वह नहीं जानते उनकी तालीम (शिक्षा) दी जाए, उन्हें अच्छी बात का हुक्म दिया जाए और बुरी बातों से रोका जाए, और उनके लिए वही बात पसंद की जाए जो अपने लिए पसंद हो, और उनके लिए वही बात नापसंद की जाए जो अपने लिए नापसंद हो, और जहाँ तक हो सके इसके लिए कोशिश की जाए।

## ❁ सिला रेहमी (नाता बंधन जोड़ने) का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने रिश्ता तोड़ने से रोका। अल्लाह तअ़ाला का फ़रमान है:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: २२]

“और तुमसे यह भी बर्इद (दूर) हैं कि अगर तुमको हुक्मत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद बर्पा कर दो, और रिश्ते नाते तोड़ डालो।” (मुहम्मद: २२)

और रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

﴿الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ﴾. [مسلم /

البر والصلة ٦ (٢٥٥٥)]

«नाता अर्श से लटका हुआ है, और वह कहता है: जो मुझको मिला दे अल्लाह

उसको अपने से मिला देगा, और जो मुझे काटेगा (विच्छिन्न करेगा) अल्लाह उसे अपने से काट (छिन्न कर) देगा ۞» (मुस्लिम: अल्बिर् वस्सिला ६, हदीस नम्बर: २५५५)

और तबरानी में अब्दुल्लाह बिन अबी औफा ۞ से रिवायत है कि नबी ۞ ने फरमाया:

«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ». [مجمع الزوائد ١٥٣/٨ (ضعيف الجامع للألباني: ١٧٩١) (موضوع)]

«फरिश्ते उन लोगों पर नाज़िल नहीं होते जिनमें कोई रिश्तादारी का काटने वाला हो फ़» (मज़मूज़ ज़वाइद: ८/१५३, ज़ईफ़ुल जामेअ लिलुअल्बानी: १७६१) (मौजूअ)

## ❁ रहबानियत की मुमानअत (सन्न्यास तथा संसार त्याग की मनाही)

इस्लाम धर्म की खूबियों में से यह भी है कि दीन में सख्ती करने और पाकीज़ा चीज़ों को छोड़ने से उसने मना किया है, क्योंकि इस्लाम आसानी, नरमी और समता (बराबरी) का दीन है। जैसाकि अनस ۞ की रिवायत से बड़ी वज़ाहत (स्पष्ट) होती है:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ۞ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ۞، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ۞، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا: فَقَالُوا: وَأَيُّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ۞، قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا؛ فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ إِلَيْهِمْ؛ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». [بخاري / النكاح ١ (٥٠٦٣)]

अनस बिन मालिक ۞ बयान फरमाते हैं: तीन लोग (अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस और उस्मान बिन मज़ऊन ۞) रसूलुल्लाह ۞ की पाक बीवीयों के घरों की तरफ़ आपकी इबादत के मुतअल्लिक़ पूछने आए, जब उन्हें रसूलुल्लाह ۞ का अमल बताया गया तो जैसे उन्होंने कम समझा, और कहा कि हमारा रसूलुल्लाह ۞ से क्या मुकाबला! आपकी तो तमाम अगली पिछली



लगूज़िशें (भूल-चूक) माफ़ कर दी गई हैं। उनमें से एक ने कहा कि आज से मैं हमेशा रात भर नमाज़ पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा और कभी नागा नहीं होने दूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई अख़्तियार कर लूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। फिर रसूलुल्लाह तश्रीफ़ लाए और उनसे पूछा: «क्या तुमने ही यह यह बातें कही हैं? सुन लो! अल्लाह की कसम! अल्लाह तआला से मैं तुम सब से ज़्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुम सब से ज़्यादा परहेज़गार हूँ, लेकिन मैं अगर रोज़े रखता हूँ तो इफ़्तार भी करता रहता हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ (रात में) और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। मेरे तरीके से जिसने बेरग़्बती की वह मुझसे नहीं है।» (बुख़ारी: अन्निकाह १, हदीस नम्बर: ५०६३)

ऐ अल्लाह! दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मक़सद न बना, और न हमारे इल्म की इंतिहा, और न जहन्म को हमारा ठिकाना बना, और हमारे गुनाहों के सबब हम पर उस शख़्स को मुसल्लत (क्षमता प्रदान) न करना जो हमारे बारे में तुझसे डरता न हो, और न हम पर रहम करता हो, और ऐ दया तथा कृपा करने वालों में सबसे अधिक कृपालू! अपनी ख़ास रहमत से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बख़्श दे।

मुहम्मद, उनके आल-औलाद तथा उनके तमाम सहाबियों पर दुरूद नाज़िल हो।

## ❁ भलाई के काम और आख़िरत की याद की तरूगीब

इस्लाम धर्म की खूबियों में से भलाई की तरफ़ दावत देना, और भली बात का हुक़म करना और बुरी बात से मना करना भी है। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ

شَيْئًا». [مسلم / العلم १ (२१७६)]

«जो शख़्स दूसरों को नेक अ़मल की दावत देता है तो उसकी दावत से जितने

लोग उन नेक बातों पर अमल करते हैं उन सब के बराबर दावत देने वाले को भी सवाब मिलता है, और अमल करने वालों के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती। और जो किसी गुम्राही की तरफ बुलाता है तो जितने लोग उसको बुलाने से उस पर अमल करते हैं उन सब के बराबर उसको गुनाह होता है, और उनके गुनाहों में (भी) कोई कमी नहीं होती।» (मुस्लिम: अल्इल्म ६, हदीस नम्बर: २६७४)

और इस्लाम की खूबियों में से आदमी को यह तरगीब देनी भी है कि ज़िंदगी के इन दिनों से फ़ायदा उठा कर वह काम किए जाएं जो आख़िरत के लिए फ़ायदामंद हों। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَكِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.» [مسلم / الوصية ३ (१६३१)]

«जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल उससे मुन्क़ते (विच्छिन्न) हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के: सदक़ा जारिया, नफ़ा बख़्श इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे।» (मुस्लिम: अल्वसिय्या ३, हदीस नम्बर: १६३१)

और अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: १८]

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो, और शख़्स देख भाल ले कि कल (क़ियामत) के लिए उसने (आमाल का) क्या (ज़ख़ीरा) भेजा है।” (अल्हश: १८)

## ❁ अल्लाह पर पूरा भरोसा की तरगीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने तरगीब दी है कि सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा किया जाए, फिर अपने ईमान और नेक अमल पर, अल्लाह के मुकर्रब (क़रीबी) बंदों पर भरोसा न किया जाए। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि जब आयत:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: २१६]

“अपने करीबी रिश्ता वालों को डरायें।” (अश्शुअरा: २१४)

नाज़िल हुई तो आप ﷺ खड़े हुए और फ़रमाया:

«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَيٍّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِدِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، إِنَّ لَكَ رَحِمًا سَابِلَهَا بَبْلًا لَهَا» . [بخاري / الوصايا ۱۱ (۲۷۵۲). مسلم / الإيمان ۸۹ (۲۰۴)]

«ऐ कुरैश के लोगो! अपनी जानों को आग से बचा लो, इस लिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुक़ाबिल में कोई नुक़सान या कोई नफ़ा पहुँचाने की ताक़त नहीं रखता। ऐ बनी अब्दे मनाफ़ के लोगो! अपने आपको जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुक़ाबिल में किसी तरह का नुक़सान या नफ़ा पहुँचाने का अख़्तियार नहीं रखता। ऐ बनी कुसै के लोगो! अपनी जानों को आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुक़सान या फ़ायदा पहुँचाने की ताक़त नहीं रखता। ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगो! अपने आपको आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह का हानि या लाभ पहुँचाने का अख़्तियार नहीं रखता। ऐ मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा! अपनी जान को जहन्नम की आग से बचा ले, क्योंकि मैं तुझे कोई नुक़सान या नफ़ा पहुँचाने का अख़्तियार नहीं रखता, तुमसे मेरा ख़ून का रिश्ता है सो मैं इहसास को ताज़ा रखूँगा।» (बुखारी: अल्वसाया ११, हदीस नम्बर: २७५३, मुस्लिम: अल्ईमान ८६, हदीस नम्बर: २०४)

❁ और इस्लाम की खूबियों में यह है कि नफ़स को इस्लाम की पाबंदी का हुक़म दिया जाए कि आदमी अल्लाह के हुक़म को अदा करने का पाबंद हो जाए, और जिस चीज़ से उसने मना किया है उससे रुक जाए और भलाई का हुक़म दे, और बुराई से रोके, और परहेज़गारी की तर्गीब देने वाली आयतें बहुत हैं।

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह इंसान को अपने रब के

साथ हमेशा तअल्लुक पर लगा देता है, जब अल्लाह की नेमत मिलती है तब भी, और जब उस पर सख्ती आती है तब भी। रसूलुल्लाह ﷺ का फ़र्मान है: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ لَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَوَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتَهُ سَرَاءُ شُكْرٍ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضُرَاءُ صَبْرٍ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» . [مسلم / الزهد ١٣ (٢٩٩٩)]

«मुमिन का मामला कितना अजीब (आश्चर्य) है, उसका सारा काम भलाई ही भलाई है, और यह खुसूसियत (वैशिष्ट) मुमिन के अलावा किसी और को हासिल नहीं, अगर उसे खुशी पहुँचती है तो शुक्र अदा करता है, जब भी उसके लिए बेहतर होता है, अगर उसे तकलीफ़ पहुँचती है तो सब्र करता है, तब भी उसके हक़ में बेहतर होता है।» (मुस्लिम: अज्जुहद 93, हदीस नम्बर: 2666)

### ❁ समाज सुधार की तरगीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि वह मख्लूक को तरगीब देता है, और वह उन्हें अपने नफ़्स और समाज की सुधार की तरफ़ तवज्जुह (ध्यान) दिलाता है, और उनकी रहनुमाई करता है, और उन्हें बताता है कि वह किस तरह अपनी अक़्तों को आज़ाद करें, और उसे ज़लालत की पस्ती (पथ भ्रष्टता) से निकाल कर अल्लाह तआला की बंदगी पर लगाएं, और उन्हें समझाता है कि किस तरह वह अपने नफ़्सों की सफ़ाई और रूहों को पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ कर ग़िज़ा (आहार) दें, और अल्लाह का हक़ ज़कात दे कर किस तरह अपने मालों को साफ़ कर सकते हैं, और किस तरह एक मुसलमान ख़ानदान की मजूबूत तामीर करें, जो सोसाइटी का मज़ (मज्जा) है, वह इस तरह कि लोग आपस में मिले रहें, और अपनी रिश्तादारी का अधिकार जानें, और बहुत आयतें तथा हदीसें इस विषय को बयान कर रही हैं।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «مَا لَهُ، مَا لَهُ؟» وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَبٌ مَا لَهُ؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» . [بخاري / الزكاة ١ (١٣٩٦)، مسلم / الإيمان ٤ (١٣)]

अबू अय्यूब رضي الله عنه बयान फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा कि

आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आखिर यह क्या चाहता है? लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «यह तो बहुत अहम ज़रूरत है। (सुनो) अल्लाह की इबादत करो, और उसका कोई शरीक (साझी) न ठहराओ, नमाज़ कायम करो, ज़कात दो, और सिला रेहमी (नाता बंधन रक्षा) करो।» (बुख़ारी: अज़्ज़कात १, हदीस नम्बर: १३६६, मुस्लिम: अल्ईमान ४, हदीस नम्बर: १३)

❁ और इस्लाम की खूबियों में से जानते हुए बातिल के लिए लड़ने को हाराम करार दिया, और जो व्यक्ति उसकी मुक़रर करदा हुदूद को मुअत्तल (उसकी निर्धारित सीमाओं को लंघन) करता है उसके लिए सिफ़ारिश करना हाराम करार दिया, और मुमिन के बारे में ऐसी बात कहना हाराम है जो उसके अंदर मौजूद नहीं। खुलासा (सारांश) यह है कि वह मक़सिद (उद्देश्य) जिन्हें पूरा करने का इस्लाम हरीस (प्रयासी) है, वह यह है कि इंसानी सोसाइटी इंसाफ़ और रहम दिली (न्याय तथा करुणा) की मजूबूत बुनियादों पर कायम हो जाए, और इंसान मुहब्बत की रूह और नतीजा ख़ेज़ तअ़ाउन (फलजनक हाथ बटाने) को बुलंद करें, और कम्ज़ोर करने वाले अस्बाब (कारणों) से बचे रहें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللهُ، فَقَدْ ضَادَّ اللهُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ [عَنْهُ]، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ اسْكَنَهُ اللهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». [أبو داود / الأفضية ١٤ (٢٥٩٧)، مسند أحمد (٢/٨٢/٧٠)] (صحيح)

«जिसने अल्लाह के हुदूद में से किसी हद को रोकने की सिफ़ारिश की उसने अल्लाह की मुख़ालफ़त (विरोधिता) की, और जो जानते हुए किसी बातिल चिज़ के लिए झगड़े तो बराबर अल्लाह की नाराज़गी (असंतोष) में रहेगा यहाँ तक कि उस झगड़े से बाज़ आ जाए, और जिसने किसी मुमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी तो अल्लाह तअ़ाला उसका टिकाना जहन्नमियों

में बनायेगा यहाँ तक कि अपनी कही हुई बात से तौबा कर ले ॥» (अबू दाऊद: अल्अक्रिज़या १४, हदीस नम्बर: ३५६७, मुस्नद अहमद: २/७०,८२) (सहीह)

## ❁ झूटी गवाही देने की मनाही

इस्लाम धर्म की खूबियों में से झूटी गवाही और झूट बोलने को हराम करना है, क्योंकि इसमें बड़े नुकसानात और मफ़ासिद (क्षति और बिगाड़) हैं। उन नुकसानात में से यह है कि वह दूसरे की दुनिया के बदले अपनी आख़िरत बेच देता है, और यह कि वह उस शख्स के साथ जुल्म पर उसकी मदद करके बद सुलूकी करता है जिसके ख़िलाफ़ गवाही देता है, और उसके साथ भी बुरा बर्ताव करता है जिसके ख़िलाफ़ गवाही देता है, क्योंकि उसे हक़ से महसूस (वंचित) कर देता है, और वह काज़ी (विचारपति) के साथ भी बुरा बर्ताव करता है कि उसे हक़ की राह से भटकाता है, और वह उम्मत के साथ भी बद सुलूकी करता है कि उसके हुकूक़ को डगमगा देता है और उसके ख़िलाफ़ बेइत्मीनान (अशांति) पैदा करता है।

## ❁ दौरे जाहिलियत के रोसूम की मुमानअत (अज्ञता काल के प्रथाओं की मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से जाहिलियत के रस्म व रिवाज को बातिल और हराम करना भी है, जैसे नसब में ऐब लगाना, और मैयित पर नौहा करना (विलाप करना-रोना पीटना)। जैसाकि सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«اَشْتَاتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ، الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ». [مسلم / الإيعان

[(17) ३०

«लोगों में दो चीज़ें पाई जा रही हैं, और वह दोनों ही चीज़ें उनके लिए कुफ़्र की हैसियत रखती हैं: किसी के नसब में ऐब लगाना, और मैयित पर चीख़ चिल्ला कर रोना तथा उसके औसाफ़ (गुण) बयान करके रोना ॥» (मुस्लिम: अल्इमान ३०, हदीस नम्बर: ६७)

और इस्लाम धर्म की खूबियों में से मुसीबत के वक़्त गालों पर तमाँचा मारने

और गरेबान फाड़ने को हराम करार देना है। बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने फरमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». [بخاري / الجنائز ٣٨

(١٢٩٧)، مسلم / الإيمان ٤٤ (١٠٣)]

«जो शख्स (किसी मैयित पर) अपने गाल पीटे, गरेबान फाड़े और दौरे जाहिलियत की सी बातें करे वह हम में से नहीं है।» (बुखारी: अल्जनाइज़ ३८, हदीस नम्बर: १२६७, मुस्लिम: अल्ईमान ४४, हदीस नम्बर: १०३)

## ❁ कुदरती तालाब पर कब्ज़ा की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से उस पानी पर कब्ज़ा जमाने और मुसाफ़ि़रों को उसके इस्तिमाल से रोकने को हराम करना है, जो किसी के साथ ख़ास न हो। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने फरमाया:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ». [بخاري / الشهادات ٢٢ (٢٦٧٢)]

«तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तआला उनसे बात भी न करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा, और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उन्हें कठिन अज़ाब होगा, एक वह शख्स जो सफ़र में ज़रूरत से ज़्यादा पानी लिये जा रहा है और किसी मुसाफ़िर को (जिसे पानी की ज़रूरत हो) न दे।» (बुखारी: अश्शहादात २२, हदीस नम्बर: २६७२)

ऐ अल्लाह! हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर (आलोक से आलोकित) कर दे, और हमें हिदायत याफ़ता (सही मार्ग प्राप्त) लोगों का रहनुमा बना, और हमें अपने उन नेक बंदों में शामिल कर जिन पर न कोई डर है और न वह मग़ूम (दुःखित) हूँगे, और ऐ कृपा करने वालों में सबसे बड़ा कृपालु! अपनी ख़ास कृपा से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बख़्श दे।

दुरूद व सलाम नाज़िल हो मुहम्मद, उनके आल व अयाल तथा उनके सहाबियों पर।

## ❁ हकीकी मुफ़्लिस (निर्धन) कौन?

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि वह इस बात को हराम कर देता है कि जान माल या आबरू (इज़्ज़त) या अक्ल (विवेक) में से किसी पर ज़्यादती की जाए, और वह तमाम जराइम (अपराध) जिन पर क़िसास (बदला) या हद की सज़ा वाजिब है, और इस्लामी अख़्लाक जैसे सच्चाई, अमानत, पाक दामनी (सतीत्व) वगैरा इस्लाम की निगाह में कमाले उमूर (पूर्णता वाली चीज़ें) नहीं हैं जैसाकि कुछ लोग वहम (भ्रम) के शिकार हो गए, बल्कि यह वाजिबात हैं जिनकी अदायेगी का इस्लाम हरीस (लोलुप) है, और जो शख्स भी इसके दाइरा (परिधि) से निकलेगा उसके बारे में बताता है कि अगर उसने तौबा नहीं की तो क़ियामत में उससे इसका बदला लिया जायेगा। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«تَدْرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ: فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضْرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُتِنْتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ؛ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّارِ».

[مسلم / البر والصلة ١٥ (٢٥٨١)]

«क्या तुम जानते हो कि मुफ़्लिस कौन है?» लोगों ने कहा: हम में मुफ़्लिस वह है जिसके पास रूख़्या तथा सामान न हो। आपने फ़रमाया: «क़ियामत के दिन मेरी उम्मत का मुफ़्लिस शख्स वह होगा जो नमाज़, रोज़ा और ज़कात लेकर आयेगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तुहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, फिर उन लोगों को उसकी नेकियाँ दे दी जायेंगी, और जो नेकियाँ उसके गुनाह अदा होने से पहले ख़त्म हो जायेंगी तो उन लोगों की बुराइयाँ उस पर डाल दी जायेंगी, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जायेगा।» (मुस्लिम: अल्बिर् वस्सिला १५, हदीस नम्बर: २५८९)



## ❁ पाकीज़ा गुफ़्तगू (अच्छी बात करने) का हुक्म

इस्लाम मुसलमानों को तालीम (शिक्षा) देता है कि उनकी ज़िंदगी के सुधार के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी बात चीत में पाक व साफ़ रहे। अतः न किसी की गीबत करे, न चुग्ली खाए, न गाली दे, न किसी मुसलमान पर तुहमत (आरोप) लगाए, न उस पर लानत (शाप) करे, न उसका मज़ाक़ उड़ाए, न उस पर बुह्तान (अपवाद) लगाए, न उसके साथ झूट बोले। अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». [مسلم / الإيمان ١٩ (٤٧)]

«जो शख्स अल्लाह तथा क़ियामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि बोले तो भली बात बोले वरना चुप रहे।» (मुस्लिम: अल्ईमान १६, हदीस नम्बर: ४७)

और आप ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». [مسلم / الحج ١٩ (١٢١٨)]

«बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़त व आबूँ तुम पर हराम है।» (मुस्लिम: अल्हज्ज १६, हदीस नम्बर: १२१८)

❁ और इस्लाम की खूबियों में यह है कि वह मुमिन को उसके फ़्राइज़ (कर्तव्यों) की अदायेगी की तर्गीब (उत्साह) देता है, और अपने परिवार तथा दोस्त व अह्बाब, और रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों और हर वह व्यक्ति जिनके साथ उसका कोई तअल्लुक़ है, उन्हें भलाई की तरफ़ बुलाने में किसी तरह की कोताही न बरूते, और इस दावत का सबसे बड़ा ज़रीया हक़ की वसियत करना, सब्र की वसियत करना, और भली बात का हुक्म करना, और बुरी बात से मना करना है।

## ❁ शर्म व हया (लज्जा करने) का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि वह उस हया का हुक्म देता है जो उस व्यक्ति के लिए फ़ज़ीलत (प्रतिष्ठा) की बुनियाद और बुराई से रक्षा का माध्यम

है, जिसे अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ दे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه की हदीस में है, नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَسْتَحْيِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْأَسْتَحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا». [ترمذی / صفة القيامة ٢٤ (٢٤٥٨) (حسن)]

«अल्लाह तअलाला से शर्म व हया करो जैसाकि उससे शर्म व हया करने का हक़ है। हमने कहा: हम अल्लाह से शर्म व हया करते हैं, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपने फ़रमाया: «हया का यह हक़ नहीं जो तुमने समझा है। अल्लाह से शर्म व हया करने का जो हक़ है वह यह है कि तुम अपने सर और उसके साथ जितनी चीज़ें हैं उन सब की हिफ़ाज़त करो, और अपने पेट और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी हिफ़ाज़त करो, और मौत तथा हड्डियों के गलू सड़ जाने को याद किया करो, और जिसे आख़िरत की चाहत हो वह दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत (रंगीनी) को छोड़ दे।» (तिर्मिज़ी: सिफतुल कियामा २४, हदीस नम्बर: २४५८) (हसन)

## ❁ जानदार को निशाना बनाने की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने किसी जानदार को निशाना बनाने से मना किया है। जैसाकि बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कुरैश के जवानों के पास से गुज़रे जो एक चिड़या को बाँध कर निशाना बना रहे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देख कर वह भाग खड़े हुए, आपने पूछा: यह कौन कर रहा था? अल्लाह उस पर लानत (शाप) करे जिसने ऐसा किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने उस व्यक्ति पर लानत फ़रमाई जो किसी जानदार को निशाना बनाए।

## ❁ इंसान की इज़ज़त व सम्मान

इस्लाम की खूबियों में से आज़ाद आदमी को ख़रीदने तथा बेचने से मना करना भी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». [بخاري / الإجارة ١٠ (٢٢٧٠)]

«अल्लाह तअला का फ़रमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका कियामत में मैं खुद मुद्दई (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे अहद किया फिर वादा ख़िलाफ़ी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मजूदूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मजूदूरी न दी।» (बुख़ारी: अल्इजारा १०, हदीस नम्बर: २२७०)

## ❁ नुजूमि (ज्योतिषी) को सच मानने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने जादूगर और काहिन की तस्दीक़ (सच मानने) को हराम करार दिया है। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تَكُهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحِرَ لَهُ، وَمَنْ آتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ». [مسند البزار ج ١ (ح-١١٧٠) (صحيح)]

«वह शख्स हम में से नहीं जो बद फ़ाली करे या जिसके लिए बद फ़ाली की जाए, या कहानत (भविष्यवाणी) करे या जिसके लिए कहानत कराई जाए, या जादू करे या उसके लिए जादू कराया जाए, और जिसने किसी काहिन की बात की तस्दीक़ की, उसने रसूलुल्लाह ﷺ की शरीअत को झुटलाया।» (मुस्नुदुल बज़ज़ार, भाग नम्बर १, हदीस नम्बर: ११७०, सहीह)

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने अज़ूनबी औरत और अज़ूनबी मर्द के इज़्तिमाअ (जमाव) को हराम करार दिया है, (अल्लाह की पनाह) चाहे जमा करने वाला मर्द हो या औरत।

❁ और इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने इस बात को हराम किया है कि बादशाह के पास किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की जाए।

☀ और इस्लाम की खूबियों में ग़स्ब (अपहरण) करने की हुर्मत (मनाही) भी है, क्योंकि वह जुल्म है, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता।

## ❁ इस्तिक़ामत की तर्गीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में इस्तिक़ामत की तर्गीब भी है, इस्तिक़ामत कहते हैं अक्वाल व अफ़्आल (कथन और कार्य) में एतिदाल (औसत दरजा) अख़्तियार करना, और तमाम हालतों में इस्तिक़ामत पर पाबंद रहना जिसकी वजह से नफ़्स बेहतर और कामिल हालत में रहे। अतः उससे कोई बुरी बात न निकले, न उसकी ओर किसी बुरी तथा कमीना बात की निस्वत की जाए। यह उसी वक़्त हो सकता है जब मुशरफ़ व मुअज़्ज़ज़ (आदृत तथा सम्मानित) शरीअत की पाबंदी की जाए, और ठोस दीन को मजूबूत पकड़ा जाए, और उसके हुदूद (सीमाओं) पर कायम रहा जाए, और साथ ही बेहतरीन अख़्लाक़ और कामिल सिफ़ात (पूर्ण गुण) अख़्तियार की जाएं। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: २०]

“बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर कायम रहे, उनके पास फ़रिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं कि तुम कुछ भी डर और ग़म न करो, बल्कि उस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो।” (फुस्सिलत: ३०)

और अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मद ﷺ से फ़रमाया:

﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ [हूद: ११२]

“जमे रहो जैसाकि आपको हुक्म दिया गया है।” (हूद: ११२)

और नबी अक़्रम ﷺ ने सुफ़्यान बिन अब्दुल्लाह ؓ से फ़रमाया:

﴿قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ﴾.

«तुम कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जम जाओ!»

## ❁ बंदों पर अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान (कृपा व उपकार)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर जो चीज़ भी हराम किया उसके बदले में उससे बेहतर चीज़ प्रदान की, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। जैसाकि इब्नुल कैइम रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: “अल्लाह ने मुसलमानों पर पाँसा के ज़रीया किस्मत मालूम करना हराम करार दिया, तो उसके बदले में उन्हें इस्तिख़ारा की दुआ की तालीम दी। सूद उन पर हराम किया तो नफ़ा बख़्श तिजारत (लाभजनक व्यवसाय) प्रदान की। जुआ हराम किया तो घोड़ों, ऊँटों और तीरों के रेस के ज़रीया इनाम व पुरस्कार हलाल किया। और रेशम उन पर हराम किया तो ऊन कतान तथा उम्दा सूती कपड़ों को हलाल किया। शराब पीना हराम फ़रमाया तो लज़ीज़ मशरूबात (स्वाद्विष्ट पेय) और रूह व बदन को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हलाल कीं। खाने की गंदी चीज़ें हराम कीं तो पाकीज़ा खाने हलाल किए। इसी तरह हम इस्लामी तालीमात को तलाश करते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ एक तरफ़ अपने बंदों पर कोई तंगी और बंदिश रखी है तो उसी प्रकार की दूसरी चीज़ों से उन पर कुशादगी भी पैदा की है।

अल्लाह तआला बेहतर जानता है। मुहम्मद, उनके आल व औलाद (परिवार-परिजन) और उनके तमाम साथियों (सहाबियों) पर दुख़द व सलाम नाज़िल हो।

## ❁ अच्छी नियत की तरुणीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने अपनी तमाम तालीमात व क़वानीन में अच्छे अस्बाब (माध्यम), अच्छे इरादे और पाकीज़ा नियत (निर्मल संकल्प) को बुनियादी हैसियत दी है। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ

إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا؛ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [بخاري / بدء الوحي (1)]

«बेशक तमाम आमाल का दार व मदार (निर्भर) नियत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के अनुसार ही मिलेगा, पस जिसकी हिज्रत (स्वदेशत्याग) दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए, या किसी औरत से शादी करने के लिए हो, तो उसकी हिज्रत उन्ही चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से उसने हिज्रत की है। (बुखारी: बद्उल् वह्य १, हदीस नम्बर: १)

अतः जिसने इस नियत से खाना खाया कि अपनी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करेगा, और अपने जिस्म को शक्तिशाली करेगा, ताकि अल्लाह ने उस पर हुक्क (अधिकार) और आल् व औलाद की जो जिम्मेदारियाँ आइद (अर्पित) की हैं सब अदा करे, तो इस अच्छी नियत के कारण उसका खाना और पीना सब इबादत में शामिल होगा।

इसी तरह जो शख़्स अपनी बीवी और लौंडी के साथ अपनी हलाल शह्वत (भोगेच्छा) पूरी करे कि उसकी और उसकी बीवी की इफ़्त (पाक दामनी) कायम रहे, और अल्लाह उसे नेक औलाद प्रदान करे, तो यह भी इबादत है, जिसका अल्लाह की तरफ़ से अज़्र व सवाब मिलेगा। इसी से मुतअल्लिक रसूलुल्लाह ﷺ का इर्शाद है:

«وَيُضَعِّتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ.. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِي شَهْوَةً وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ

وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتُمُّ؟» [مسلم / المسافرين १३ (२०)]

«और उसका अपनी बीवी से हम्बिस्तरी (संभोग) भी सदका है।» लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो उससे अपनी शह्वत पूरी करता है, फिर भी सदका होगा? (यानी इस पर उसे सवाब क्योंकर होगा?) तो आप ﷺ ने फ़रमया: «क्या ख़याल है तुम्हारा अगर वह अपनी ख़ाहिश (बीवी के अलावा) किसी और के साथ पूरी करता तो गुनाहगार होता या नहीं?» (जब वह ग़लतकारी करने पर गुनाहगार होता तो सही जगह इस्तेमाल करने पर उसे सवाब भी होगा।) (मुस्लिम: अल्मुसाफ़िरीन १३, हदीस नम्बर: ७२०)

## ❁ ग़स्ब (अपहरण), चोरी और लूटे हुए माल के ख़रीदने की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि जो चीज़ ग़स्ब की गई, या चोरी की गई, या उसके मालिक से नाहक़ छीन ली गई हो, उसका ख़रीदना मुसलमान पर हराम है, क्योंकि ऐसी चीज़ का ख़रीदना, ग़स्ब करने वाले, चोर तथा डाकू की मदद करना है। और जब यह मालूम हो जाए कि यह चीज़ चोरी की है तो चाहे चोरी की मुद्दत (अवधि) कितनी ही लम्बी क्यों न हो गई हो या चोरी का माल चोर और डाकू के हाथ में कितने ही ज़माना से क्यों न हो, हर हाल में वह चोरी ही है, ज़माना के लम्बा व कम होने की वजह से शरीअत किसी चीज़ को हलाल नहीं करती, और मुद्दत लम्बी होने के कारण अस्ल मालिक के हक़ को साक़ित (ख़त्म) नहीं करती।

## ❁ सूद की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से सूद को हराम करना भी है।

पहला: क्योंकि सूद आदमी के माल को बिना इवज़ (बदला) के दिला देता है, क्योंकि एक दिरहम को दो दिरहम के इवज़ बेचने की सूरत में एक दिरहम बग़ैर इवज़ के मिल जाता है, और सब जानते हैं कि इंसान का माल उसकी ज़रूरत के साथ लगा हुआ है और उसका बड़ा इहतिराम (आदर) है।

दूसरा: सूद का रिवाज लोगों के दरमियान कर्ज़ (उधार) की नेकी को ख़त्म कर देता है।

तीसरा: सूद की वजह से आदमी रोज़ी कमाने की मशक़त व परेशानी को बर्दाश्त नहीं करता जिससे मज़्लूक के नफ़ा तथा फ़ायदे का ख़ातमा (अवसान) हो जाता है, और रोज़ी तलब करने की कोशिश और मेहनत ढीली पड़ जाती है, और अल्लाह ने सूद खाने तथा खिलाने वाले, और लिखने और गवाही देने वाले सब पर लानत की है।

## ❁ इस्लाम की नेमत को याद रखो

अल्लाह के बंदो! इस्लाम की जिन खुबियों का जिक्र तुमने अब तक सुना वह इस्लाम के समुंदर का एक विंदु मात्र है, जिससे अल्लाह ने अरब के भेदभाव तथा इख्तिलाफ को मिटा दिया, और उनके दिलों और सफ़ों को इकट्ठा कर दिया, और उनकी तबीअत व अख़लाक को संवार दिया, यहाँ तक कि उन्हीं में से एक ऐसी उम्मत तैयार की जो सख़्त लड़ाकू, ज़बरदस्त शक्ति की अधिकारी थी, जिसने धरती को अपने कब्ज़ा में कर लिया और चारों ओर इस्लाम के इल्म व फन्न का प्रचार व प्रसार किया। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

[अल عمران: १०३]

“याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी, पस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई बन गए।” (सूरह आलि इम्रान: १०३)

और फ़रमाया:

﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ النَّاسُ فَتَأْوِنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنْزِرُونَ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: २६]

“और उस हालत को याद करो जबकि तुम ज़मीन में थोड़े थे, कम्ज़ोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशा (डर) में रहते थे कि लोग तुम्हें नोच खसोट न लें, सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी मदद से ताक़त दी। (अल्अन्फाल: २६)

## ❁ इस्लाम सूरज की तरह है

अल्लाह ने इस्लाम धर्म को ज़मीन के तमाम ओर फैला दिया, गोया वह चमकता सूरज है जिसकी किरणें अप्रकाश्य नहीं है, और वह रोशन चाँद है जिसकी रोशनी मख़्दम (मन्दा) नहीं होती, न उसका नूर बुझता है। यह वह दीन है जिसे



उसके दुश्मन नापसंद करते हुए भी रोज़ाना (प्रतिदिन) जाने अनजाने उसके करीब होते जाते हैं, क्योंकि अपनी लाइल्मी ईजादात (अनजाने आविष्कारों) और ज्ञानों में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे उसकी हक्कानियत (सत्यता) की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿سَتْرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ०३]


“शीघ्र हम उन्हें अपनी निशानियाँ दुनिया के किनारों में दिखायेंगे तथा खुद उनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि उन पर स्पष्ट हो जाए कि सत्य यही है।” (फुस्सिलत: ५३)

इस्लाम वह दीन है कि उसके दुश्मन और हासिद (हिंसुक) पहले दिन ही से इसके खिलाफ़ साज़िशें (षड़यंत्र) कर रहे हैं, फिर भी जैसाकि आप देख रहे हैं न उसकी रोशनी बुझी, न ही उसकी दलील कमज़ोर हुई। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: ८]

“वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूँकों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को कमाल (पूर्णता) तक पहुँचाने वाला है, गो काफ़िर बुरा मानें।” (अस्सफ़ः ८)

मुसलमानो! तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि इस्लाम दुनिया व आख़िरत की भलाइयों और नेमतों को शामिल है, हर फ़ज़ीलत की इस्लाम ने तरगीब (उत्साह) दी और तमाम रज़ाइल (नीचताओं) से नफ़ूरत दिलाई। अगर आप उसकी मज़बूत रस्सी को पकड़े रहोगे तथा उसके अहकामात पर अमल के हरीस व शाइक़ (लोलुप व अभलाषी) रहोगे और उसके आदात से आरास्ता (सुसज्जित) रहोगे तो सआदत की ज़िंदगी जियोगे और खुश बख़्ती (सौभाग्य) की मौत मरोगे।







## इस्लाम अतीत (माज़ी) के आईना में


इस्लामी उम्मत के आगाज़ (आरंभ) पर नज़र डालें, और उसकी पहली तरक्की (प्रगति) के अस्बाब तथा कारणों पर गौर फ़रमायें तो आपको मालूम होगा कि जिसने उम्मत की आवाज़ को मुत्तहिद (एक) किया, उनकी हिम्मतों को उभारा, और उसके अफ़राद (जनों) को इकट्ठा किया, और उम्मत को ऐसी बुलंदी तक पहुँचा दिया जहाँ से वह दुनिया की तमाम उम्मतों पर शरफ़ (मान-प्रतिष्ठा) पा गई, और अपने मक़ाम व मर्तबा पर कायम रहते हुए अपनी बारीक (सूक्ष्म) हिक्मतों से उनकी क़ियादत (नेतृत्व) करने लगीं, वह सिर्फ़ “इस्लाम धर्म” ही था। वह दीन जिसकी नींव मज़बूत, बुनियादें सुदृढ़, तमाम अहक़ामात (विधि-विधानों) पर मुश्तमिल (व्याप्त), प्रेम का बायेस (उद्दीपक), मुहब्बत का पयाम्बर (संदेश वाहक), आत्माओं का साफ़ करने वाला, दिलों को ख़सासतों (नीचता) के मैल से पवित्र करने वाला, अक़लों को सत्य की इज़्ज़त से रोशनी बख़्शने वाला, इंसानी समाज की तमाम बुनियादी ज़रूरियात (आवश्यक वस्तुओं) का ज़िम्मेवार, और उसके वुजूद का रक्षक, और अपने तमाम मानने वालों को सही शहूरियत तमाम शोबों की दावत देता है।

इस्लाम के आने से पहले की तारीख़ का अध्ययन करो तो पाओगे कि लोग इख़्तिलाफ़, बुरे व निकृष्ट तथा कमीना ख़स्लतों में मुब्तिला थे। इस्लाम धर्म ने आकर इंसानों को मुत्तहिद (एक) तथा शक्तिशाली और मुहज़ज़ब (सभ्य) बनाया, उनकी अक़लों को रोशनी बख़्शी, उनके अख़्लाक़ दुरुस्त किए, उनके अहक़ामात सुधारे, इस तरह इस्लामी उम्मत पूरी दुनिया पर छा गई और जहाँ हुकूमत की न्याय और इंसाफ़ का डंका बजाया।

ऐ अल्लाह! हमें अपनी तदबीर से बचा ले, और अपनी याद से हमको ज़ीनत बख़्श दे, और अपने हुक्म के अनुसार हमसे काम ले, और अपनी अच्छी परदा पोशी को हम पर तार तार मत कर दे, और अपनी मेहरबानी से हम पर एहसान फ़रमा दे, और अपनी याद और शुक्र पर हमें बर्कत और मदद प्रदान कर। ऐ अल्लाह! हमें अपने अज़ाब से बचा ले, और अपनी सज़ा से हमारी रक्षा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह! जिस पर तू ने हमें वाली (संरक्षक) वहाँ हमें न्याय तथा अटलता की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह! हम इस दुनिया से तेरी पनाह (आश्रय) चाहते हैं जो आख़िरत (परलोक) की भलाई से हमें रोक दे, और उस ज़िंदगी से तेरी पनाह चाहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म से रोके, और तुझसे माँगते हैं कि तू हमारे दिलों को रोशन कर दे, और हमें अपने अटल बात पर दुनिया तथा आख़िरत में कायम रख। और ऐ दया करने वालों में सबसे अधिक दयावान! अपनी दया से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दे। आमीन।

व सल्लल्लाहु अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलिहि व सहूबिहि अज़्मईन। अर्थात अल्लाह तअ़ाला मुहम्मद, उनके आल व अ़याल और उनके तमाम साथियों (सहाबा) पर दुरुद नाज़िल फ़रमाये।

समाप्त





# IslamHouse.com

 Hindi.IslamHouse  @IslamHouseHi  IslamHouseHi  <https://islamhouse.com/hi/>  
 IslamHouseHi

For more details visit  
[www.GuideToIslam.com](http://www.GuideToIslam.com)



contact us :Books@guidetoislam.com

 [Guidetoislam.org](http://Guidetoislam.org)  [Guidetoislam1](https://twitter.com/Guidetoislam1)  [Guidetoislam](https://www.youtube.com/Guidetoislam)  [www.Guidetoislam.com](http://www.Guidetoislam.com)



**المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة**

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧


**ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH**

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126



# इस्लाम धर्म की खूबियाँ

इस किताब में है: ♦ इस्लाम धर्म की विशेषतायें ♦ शरई अहकामात की खूबियाँ ♦ इस्लाम एक अज़ीम नेमत है और सूरज की मिस्ल है।



IslamHouse.com



مركز الأصول  
Osoul Center  
www.osoulcenter.com

